

**नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के लेखों का अंकेक्षण एवं
निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 04/2013 से 03/2015

1 (क) प्रारम्भिक:—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नलिखित द्वारा प्रधान नगर परिषद व कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य किया गया।

(i) प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	सुश्री अनिता ठाकुर	01.04.2013 से 31.03.2015
2		

(ii) कार्यकारी अधिकारी :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती राखी कौशल	01.04.13 से 07.09.13 तक
2	श्री राम प्रसाद (Project Office D.R.D.A. Chamba)	09.09.13 से 11.07.14 तक
3	श्री असीम सूद (जिला विकास अधिकारी)	14.07.14 से 11.08.14 तक
4	श्रीमती राखी कौशल	12.08.14 से 27.10.14 तक
5	श्री अमन कुमार राणा (तहसीलदार)	28.10.14 से 31.03.15

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार।

क्र०सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	दिनांक 31.3.15 तक गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	9	66.04
2	13वें वित्तायोग से कार पार्किंग के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि के उपयोग बारे	5.3	60.90
3	नगर परिषद (जन्जघर) के किराये एवं दण्ड शुल्क की वसूली शेष	10.1	57.96
4	दिनांक 31.3.15 तक भवनों, दुकानों के किराये की वसूली न करना	10	46.43
5	नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित किराये दरों के अनुसार न करने के फलस्वरूप हानि	9.2	41.71
6	पार्किंग स्थलों की नीलामी की बकाया राशि की वसूली न करना	10.4	11.25
7	नगर परिषद के विश्राम गृह की नीलामी की बकाया राशि की वसूली न करना	10.2	6.99
8	संविदाकार को अनुचित भुगतान	18	5.95
9	भवनों के गृहकर की गणना नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप राशि की हानि	9.1	5.60
10	दिनांक 31.3.15 तक विभिन्न विभागों के डिपॉजिट कार्यों के लिए प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण राशि की वसूली शेष	7	2.83
11	संविदाकार को अधिक भुगतान करना	13	1.11
12	रैहन बसेरा की नीलामी की बकाया राशि की वसूली न करना	10.3	0.71
13	संविदाकार श्री शिवांक शर्मा को राशि का अनियमित/अनुचित भुगतान करना	11	0.63
13	स्थापना पर अनियमित/अधिक व्यय	23	158.23

(ग) गत अंकक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'अ' पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं गई है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकक्षण:-

नगर परिषद चम्बा के लेखों अवधि 4/2013 से 3/2015 तक का वर्तमान अंकक्षण एवं निरीक्षण श्री अशोक कुमार सूद (सहायक नियन्त्रक, ले0प0), संदीप कमल, (अनुभाग अधिकारी, ले0प0) व श्री पंकज भारिया, (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा दिनांक 30.03.2015 से 26.05.15 तक चम्बा में किया गया। आय व व्यय के लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

क्र०सं०	वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
1	2013-14	1/2014	2/2014
2	2014-15	3/2015	10/2014

वर्तमान अंकक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व अभिलेख के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है विभाग की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेंक्षण शुल्क :-

नगर परिषद चम्बा के लेखों अवधि 4/2013 से 3/2015 तक के अंकेंक्षण करने का शुल्क ₹72600/- बनता है। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को अंकेंक्षण अधियाचना संख्या एल0ए0डी0 (आडिट)/2015-16/46 दिनांक 26.5.15 द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा द्वारा अंकेंक्षण शुल्क ₹72600/- का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्या A884139 दिनांक 29.05.15 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद चम्बा के लेखाओं अवधि 04/13 से 03/15 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

मुख्य रोकड़ बही:- (परिशिष्ट "क")

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अपने साधनों से आय	अनुदान राशि	अन्य	कुल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	44309331.57	8289099	47327492	4639862	104565784.57	47358423.57	57207361
2014-15	57207361	11965459	39737886	10486909	119397615	56326806	63070809
		Balance as per Cash Book on 31.03.15					₹63070809
		Balance as per Pass Book on 31.03.15					
		SBI A/C No. 30986744343					₹15263110
		HPSCB A/C No. 11149814908 (MODS A/C)					₹47822041
							63085151

Bank Reconciliation Statement on 31-03-15

Balance as per cash Book	63070809	-
Add	Cheques issued but not presented for payment upto	
	31.3.15	
Ch. No. RTG 1844, Dt 18.02.15, 21914		
Ch. No. 419522 Dt. 13.03.15, 4189		
Ch. No. 419533 Dt. 30.03.15, 7958	(+) 230850	-
Ch. No.419534 Dt. 30.03.15, 14078		
Ch. No.419535 Dt. 30.03.15, 2400		
Ch. No.419536 Dt. 30.03.15, 118203		
Ch. No.419537 Dt. 30.03.15, 62108		
	Cheques presented but not credited by the Bank till	
	31.3.15	
Ch. No. 776418 Dt. 25.02.15, 2000		
Ch. No. 144474 Dt. 18.03.15, 13000		
Ch. No. 409474 Dt. 29.03.15, 4510		
Ch. No. 665101 Dt. 28.03.15, 2580	(-) 216521	
Ch. No. 665102 Dt. 28.03.15, 5320		
Ch. No. 628073 Dt. 30.03.15, 8800		
Ch. No. 209837 Dt. 30.03.15, 180311		
Excess credit given by Bank	(+) 13	-
Bank Balance as per Pass Book	63085151	

4.1 IDSMT रोकड़ बही (परिशिष्ट "क")

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	2417678	77000	103749	2598427	97417	2501010
2014—15	2501010	125000	195901	2821911	18336	2803375

Balance as per Cash Book on 31.03.15	₹2803575
Balance as per Pass Book on 31.03.15	
PNB A/C No. 1420000103057184	₹1732260
CBI A/C No. 2173081658	₹1062441
	2774701

Bank Reconciliation Statement on 31.03.15

Balance as per Cash Book	2803575
₹8000/- drawn A/C No. 1420000103057184 on 11.12.10 but not entered in Cash Book	(-) 8000
₹55/- drawn from A/C No. 0000103057184 on 12.12.10 but not entered in Cash Book	(-) 55
₹819 drawn from A/C No. 2173081658 on 15.10.10 but not entered in Cash Book	(-) 819
Bank Balance as per Pass Book	2794701

(i) जाँच के दौरान पाया कि HPFR 1971 Vol-1 के नियम 2.2 के अनुसार रोकड़ बहीतैयार नहीं की गई थी अर्थात् महीने के अन्त में रोकड़ बही में शेष राशि व प्रविष्टियों को कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की रोकड़ बही नियन्त्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई थी। इस अनियमितता की सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31 दिनांक 31.05.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दी थी लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः भविष्य में उपरोक्त नियम के अनुसार रोकड़ बही तैयार करना सुनिश्चित करें।

(ii) जाँच में पाया कि बैंक खाता संख्या 1420000103057184 से दिनांक 11.12.10 तथा 21.12.10 को क्रमशः ₹8000/- व ₹55 तथा खाता संख्या 2173081658 से दिनांक 15.10.10 को ₹819/- आहरित किए गए थे लेकिन रोकड़ बही में इन राशियों की कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी और न ही इन राशियों के वाउचर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गये। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कि इन राशियों को आहरण करके दुरुपयोग किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

4.2 S.J.S.R.Y. रोकड़ बही (परिशिष्ट "क")

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	2856088	0	92594	2948682	176033.70	2772648.30
2014—15	2772648.30	40000	131716	2944364.30	269224.40	2675139.90
	Balance as per Cash Book on 31.03.15					₹2675139.90
	Balance as per Pass Book on 31.03.15					₹2661909.90
	Bank Reconciliation Statement on 31.03.15					
	Balance as per Cash Book as on 31.3.15					2675139.90
	₹6000/- paid but not entered in Cash Book					(-) 6000
	Cheque issued but not presented for payment upt to 31.3.15					
	Ch. No. 252326 Dt. 04.08.2000, ₹600					
	Ch. No. 253518 Dt. 25.05.2001 ₹293					
	Ch. No. 253519 Dt. 25.05.2001 ₹293					
	Ch. No. 253520 Dt. 22.06.2001 ₹1930					
	Ch. No. 252380 Dt. 12.01.2001 ₹300					
	Ch. No. 951529 Dt. 01.06.2009 ₹129					
	Ch. No. 951540 Dt. 01.06.2009 ₹285					
	Ch. No. 951542 Dt. 01.06.2009 ₹69					
	Ch. No. 951543 dt. 01.06.2009 ₹96					
	Ch. No. 951524 Dt. 01.06.2009 ₹363					(+) 4358
	Amount drawn from bank but not entered in Cash Book					
	on 10.07.11 ₹3200					(-) 11468
	on 21.02.11 ₹8268					
	Bank Charges Charged by the bank					(-) 120
	Bank Balance as per Pass Book					2661909.90

(i) बैंक समाधान विवरणी की जाँच में पाया कि ₹4358/— के विभिन्न 10 चैक दिनांक 04.08.2000 से दिनांक 22.06.09 तक भुगतान हेतु जारी किए गये थे लेकिन आज तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त सभी चैक कालातीत हो चुके हैं। अतः इस राशि को रोकड़ बही की आय में लेना सुनिश्चित करें।

(ii) दिनांक 21.2.11 एवं 10.07.11 को क्रमशः ₹8268/— एवं ₹3200/— की राशि का आहरण किया गया था लेकिन रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई थी और न ही आहरित राशि का उद्देश्य एवं सम्बन्धित अभिलेख अंकक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किए गये। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस राशि का दुरुपयोग किया गया था। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा राशि को उचित स्रोत से वसूल करना सुनिश्चित करें।

(iii) उपरोक्त रोकड़ बही HPFR 1971 खण्ड-1 के नियम 2.2 के अनुसार तैयार करके नियन्त्रण अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाई गई थी। जिसे नियमों के अनुसार सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

4.3 Deposit work की रोकड़ बही (परिशिष्ट "क")

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	4871636	1233194	146911	6251741	2432269	3819472
2014—15	3819472	2527277	119441	6466190	1995937	4470253
	Balance as per Cash Book on 31.03.15					₹4470253
	Balance as per Pass Book on 31.03.15					₹3445915.36
	Bank A/C No. 11149814089					
	Bank Reconciliation:-					
	Balance as per Cash Book as on 31.3.15					4470253
	Grant received from D.C. Chamba for Deposit work but deposited in main Pass Book instead of Deposit work pass book					(-)1024000
	Difference of ₹337.64 prior to 31.03.10 (not Reconciled)					(-) 337.64
	Bank Balance as per Pass Book as on 31.3.15					3445915.36

(i) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में जिलाधीश चम्बा द्वारा ₹1024000/- का अनुदान विभिन्न कार्यों हेतु दिया गया था लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी यह राशि नगर परिषद के खाते में ज्यों की त्यों पड़ी है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इस राशि को Deposit work के खाते में शीघ्र जमा करवाकर नियमानुसार खर्च करके सम्बन्धित विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

(ii) रोकड़ बही का रख-रखाव HPFR-1971, खण्ड-1 के नियम 2.2 के अनुसार नहीं किया गया था और न ही नियन्त्रण अधिकारी द्वारा इस रोकड़ बही को सत्यापित किया गया था जिस कारण दिनांक 31.03.10 से पूर्व पाये गये अन्तर की राशि ₹337.64 का कारण स्पष्ट नहीं किया जा सका। अतः अन्तर के कारणों की जाँच के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

4.4 NRY/HUDCO की रोकड़ बही:- (परिशिष्ट "क")

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	202722.50	0	8123	210845.50	14603	196242.50
2014-15	196242.50	0	7928	204170.50	0	204170.50
	Balance as per Cash Book on 31.03.15					₹204170
	Balance as per Pass Book on 31.3.15					₹204170
	HPSCB Chamba A/C No. 4913					₹91219.50
	HPSCB Chamba A/C No. 2268					₹112951.00
	Difference					Nil

(i) उपरोक्त रोकड़ बही का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमों के अनुसार नहीं किया गया था। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा नियमों के अनुसार सत्यापन करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

4.5 पैन्शन की रोकड़ बही:- (परिशिष्ट "क")

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	—363	5210465	3551	5213653	5182375.70	31277.30
2014—15	31277.30	5469376	4916	5505569.30	5421205.40	84363.90
	Balance as per Cash Book on 31.03.15					₹84363.90
	Balance as per Pass Book on 31.3.15 (PNB A/C No. 1420000100119337)					₹100524.90
	₹100524.90					
	Bank Reconciliation Statement on 31.3.15					
	Balance as per Cash Book as on 31.3.15					84363.90
						-
Add	Cheque issued but not presented for payment					
	Ch. No. 234 dt. 11/2010					2000
	Ch. No. dt. 12/2010,					2000
	Ch. No. dt. 01/2011,					2000
						(+)14000
	Ch. No. 917950 dt. 03.06.13					2000
	Ch. No. 917973 dt. 10.12.13					2000
	Ch. No. 152008 dt. 07.02.15					2000
	Ch. No. 152010 dt. 12.03.15					2000
	Cheque deposited into bank but not entered in Cash book on 08.09.12					(+) 2401
	Bank Changes					(-) 240.00
	Balance as per pass Book as on 31.3.15					100524.90

(i) वर्ष 2010 से 2013 में ₹10000/- के चैक भुगतान हेतु जारी किए गये थे (विवरण पैरा 4.5 में देखें) यह चैक में समय पर बैंक में प्रस्तुत न करने के कारण कालातीत हो चुके हैं। अतः इन चैकों के भुगतान की जानकारी बैंक से लेकर इन्हें आय पक्ष में लेना सुनिश्चित करें।

(ii) पेंशन की रोकड़ बही का रख रखाव एवं सत्यापन नियमों के अनुसार नहीं किया गया था अधियाचना संख्या 31 दिनांक 13.05.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को इस बारे अवगत करवाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः रोकड़ बही को नियमों के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित करें।

4.6 Solid Waste Management की रोकड़ बही:—

Solid Waste Management की रोकड़ बही दिनांक 31.3.09 के पश्चात नहीं लिखी गई थी जिस बारे अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2013 के पैरा संख्या 4 (छ) में भी आपत्ति दर्ज की गई थी। अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बही उपलब्ध न होने के कारण आय—व्यय की सही जानकारी नहीं हो सकी। अंकेक्षण के दौरान बैंक पास बुक खाता संख्या 13001010875 की प्रविष्टियाँ करवाई गई जिसमें दिनांक 31.03.15 को ₹4735/— की राशि पाई गई। अतः दिनांक 31.03.15 तक नियमों के अनुसार उक्त रोकड़ बही न लिखने का औचित्य स्पष्ट करें यदि यह खाता निष्क्रिय है तो इसमें जमा राशि नगर परिषद के मुख्य खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

4.7 उपदान:—

उपदानों के लिए भारतीय स्टेट बैंक चम्बा में अलग बचत खाते खोले गये थे उपदान की आय—व्यय का लेखा—जोखा इसी खाते से किया गया था लेकिन इनकी रोकड़ बही नहीं रखी गई थी जिसके अभाव में इन खातों की आय—व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उपदान खाते की रोकड़ बही तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें। भविष्य में इनकी अलग से रोकड़ बही खोलना सुनिश्चित करें ताकि इनकी वित्तीय स्थिति की जाँच हो।

(1) ग्रैच्युटी:—

SBI Chamba खाता संख्या	31782536868
Balance on 31.03.2015	₹1097467

(2) सामान्य भविष्य निधि:—

(i) बचत खाते में शेष:—

SBI Chamba खाता संख्या	1149813891
Balance on 31.03.2015	₹1575628.75

(ii) सावधि जमा में निवेश:—

(a) FDR No. 2173053336, SBI Chamba	₹1504482
(b) FDR No. 2173053347, SBI Chamba	₹1504482

उपरोक्त निवेश का विवरण परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है।

(3) अंशदायी भविष्य निधि:—

SBI Chamba खाता संख्या	31359683589
Balance on 31.03.2015	₹2502626

उपरोक्त पैरे में दर्ज की गई आपत्तियाँ अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2013 में भी ध्यानार्थ लाई गई थी लेकिन इनके समाधान हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई अपितु इस अवधि में भी इन गलतियों को दोहराया गया। अतः यह प्रकरण आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग (हिमाचल प्रदेश) के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है। नगर परिषद प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद की विभिन्न रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमों के अनुसार सही ढंग से रखने एवं समय-2 पर नियन्त्रण अधिकारी से सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें।

5 अनुदान:—

नगर परिषद चम्बा के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2015 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट "ग" में दिया गया है:—

	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
प्रारम्भिक शेष	43567833	57866464
आय	47327492	39737886
कुल राशि	90895325	97604350
व्यय	33028861	40437429
अन्तिम शेष	57866464	57166921

5.1 दिनांक 31.3.15 तक अनुदानों की राशि ₹571.67 लाख व्यय हेतु शेष:-

अनुदानों की उपरोक्त वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि नगर परिषद के पास दिनांक 31.03.15 को विभिन्न कार्यों के निर्माण हेतु राशि ₹57166921/- व्यय हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त लम्बित अनुदानों की राशि को विहीत उद्देश्यों के अनुसार व्यय करके सम्बन्धित विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

5.2 जिलाधीश चम्बा से प्राप्त अनुदानों की राशि का शेष दिनांक 31.03.15 को ₹1251454/- दर्शाया गया था जबकि अनुदानों की रोकड़ बही में इसी अवधि में शेष ₹4470253/- था। अधियाचना संख्या 34 दिनांक 15.05.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त अन्तर को स्पष्ट करने बारे कहा गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः आगामी अंकेक्षण में अनुदानों की सही स्थिति में अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5.3 13वें वित्तायोग से कार पार्किंग के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि ₹60.90 लाख के उपयोग बारे:-

वर्ष 2011-12 में शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(c) (2)-1/2008-III-28341-57 दिनांक 28.12.2011 द्वारा राशि ₹60.90 लाख की अनुदान राशि कार पार्किंग के निर्माण हेतु प्राप्त हुई। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 28 दिनांक 30.4.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से पार्किंग के निर्माण की अद्ययतन स्थिति इत्यादि के बारे में सूचना मांगी गई थी परन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस सन्दर्भ में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। अनुदान राशियों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पार्किंग से सम्बन्धित प्राप्त अनुदान

राशियों में से दिनांक 31.3.2015 को ₹4645733/- की राशि व्यय हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि इस अनुदान राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था।

अतः इस राशि के प्रयोग सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेंक्षण में प्रस्तुत किया जाये राशि का पूर्ण उपयोग व चारों स्थानों पर पार्किंग का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

6 राशि ₹10.67 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करना:—

₹1066961/- की राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु नगर परिषद के विभिन्न कर्मचारियों को दिनांक 31.03.15 तक अग्रिमों के रूप में दी गई थी जिसका उल्लेख परिशिष्ट "घ" में दिया गया है, लेकिन 31.3.15 तक इन राशियों का समायोजन नहीं किया गया था। अतः कार्यकारी अधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि अग्रिमों का समायोजन नियमानुसार शीघ्र किया जाये व सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेंक्षण में प्रस्तुत करें।

7 दिनांक 31.3.15 तक विभिन्न विभागों के डिपॉजिट कार्यों के लिए प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करने के कारण ₹2.83 लाख की वसूली शेष:—

नगर परिषद चम्बा द्वारा विभिन्न विभागों के डिपॉजिट कार्यों पर दिनांक 31.03.15 तक कुल प्राप्ति से अधिक राशि व्यय करने के कारण ₹283468/- की राशि वसूली हेतु शेष थी। जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ङ" में दिया गया है। डिपॉजिट कार्यों पर कुल जमा/प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाना सुनिश्चित करें तथा अधिक व्यय की गई राशि ₹283468 की वसूली सम्बन्धित विभागों से शीघ्र करके अनुपालना से अंकेंक्षण को अवगत करवायें।

8 विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से देय शुल्क की राशि ₹1.05 लाख वसूली योग्य शेष:—

मोबाईल टावर की स्थापना से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया कि विभिन्न कम्पनियों से देय शुल्क की दिनांक 31.03.15 तक निम्नविवरणानुसार राशि ₹105000/- वसूली योग्य शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "च" में दिया गया है। अंकेंक्षण के दौरान पाया कि इस राशि को वसूल करने के लिए नगर परिषद

द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। अतः उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कम्पनियों से नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

क्र०सं०	मोबाईल कम्पनियों का नाम	वसूली योग्य राशि
1	B.S.N.L.	75000
2	AIRCELL	20000
3	BODA PHONE	10000
कुल राशि		105000

9 गृह कर:-

दिनांक 31.3.15 तक गृहकर की राशि ₹66.04 लाख वसूली हेतु शेष:-

दिनांक 31.3.15 तक गृहकर की राशि ₹6604393/- वसूली हेतु शेष थी जिसका ब्यौरा परिशिष्ट "छ" में दिया गया है। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू०एल०बी० एच०ए० (7)-1/87-9237/9284 दिनांक 26.6.2001 द्वारा कार्यकारी अधिकारियों को करें इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली हेतु आदेश जारी किए गए थे। फिर भी गृहकर की राशि ₹6604393.00 वसूली हेतु शेष रहना एक गम्भीर अनियमितता के साथ-2 आदेशों का उल्लंघन है। अतः इस राशि को शीघ्र वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

9.1 गृहकर की गणना नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप राशि ₹5.60 लाख की हानि:-

नगर परिषद द्वारा गृहकर की गणना नगर पालिका अधिनियम 1994 में वर्णित नियमों के अनुसार नहीं की गई थी। अंकेक्षण अध्याचना संख्या 14 दिनांक 16.04.15 द्वारा विभिन्न भवनों में चलित बैंकों/स्कूलों के किराये के समझौते उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया था जिनकी जाँच करने पर पाया कि इन भवनों के गृहकर का निर्धारण नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को दिनांक 31.03.15 तक ₹559988/- की हानि हुई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Name of Building/Ward	Name of Bank	Amount of Monthly rent	House tax to be recovered (P.A.)	Actual House tax recovered (P.A.)	Period	Loss up to 31.03.15
Hardaspura Ward	Bank of Baroda from 03/2014	20664 P.M.	27896	Nil	03/14 to 03/15 (13 months)	30221

Hardaspura Ward	Bank of India from 03/2013	28650 P.M.	38678	Nil	03/13 to 03/15 (25 months)	80579
Julakhari Ward	HDFC Bank from 07/2013	45000 P.M.	60750	Nil	07/13 to 03/15 (21 months)	106313
Julakhari Ward	Oriental Bank of Commerce from 09/2013	41000 P.M.	55350	Nil	09/13 to 03/15(19 months)	87638
Julakhari Ward	ICICI Bank, from 31.03.12	29916 P.M.	40387	Nil	04/12 to 03/15 (36 months)	121161
Sultanpur Ward	HGB from 04/2013	7000 P.M.	9450	Nil	04/13 to 03/15 (24 months)	18900
Chougan	Central Bank, from 01/2013	7234 P.M.	9766	Nil	01/13 to 03/15 (27 months)	21973
Chougan	Reliance life Insurance, from 04/2014	14168 P.M.	19127	Nil	04/14 to 03/15 (12 months)	19127
Sultanpur	Principal BPS School, from 04/2012	18290 P.M.	24692	Nil	04/12 to 03/15 (36 months)	74076
				Total Loss		559988

उपरोक्त अनियमितता की सूचना अंकेक्षण अध्याचना संख्या 39 दिनांक 13.05.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दी गई थी लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक परिषद द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः नगर परिषद क्षेत्र में स्थित समस्त किराये में दिए गये भवनों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त वर्णित वसूली योग्य राशि ₹559988/- की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

9.2 नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित किरायदारों के अनुसार न करने के फलस्वरूप राशि ₹41.71 लाख की हानि:-

जाँच में पाया कि नगर परिषद क्षेत्र में कुल 25 होटल पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या 32 दिनांक 14.05.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को होटलों के गृहकर निर्धारण बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाने के लिए कहा गया। अंकेक्षण के दौरान होटलों के गृहकर निर्धारण सम्बन्धित नियमों से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित किराये दरों अनुसार 45 दिन की Occupancy के आधार पर इन होटलों के गृहकर का निर्धारण/जाँच करने पर पाया कि परिषद को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में राशि ₹4171258/- की हानि हुई थी। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ज" में दिया गया है। अतः समस्त होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार होटलों के संचालन की अवधि से करके एवं समस्त बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें ताकि नगर परिषद की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

10 दुकानों से आय:-

दिनांक 31.3.15 तक भवनों, दुकानों के किराये की राशि ₹46.43 लाख की वसूली न करना:-

परिषद द्वारा आय के साधनों को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में लगभग 447 दुकानों का निर्माण किया था। परिशिष्ट "झ" के अनुसार दिनांक 31.03.15 तक राशि ₹4643032/- किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थी जबकि निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0 एच0ए0 (7)-1/87/9237/9284 दिनांक 20.06.2001 के द्वारा कार्यकारी

अधिकारियों को करों इत्यादि की शत-प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी, द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जो कि एक चिन्ताजनक विषय है। अतः उक्त पत्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए किराये की शेष राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 नगर परिषद (जन्जघर) के किराये एवं दण्ड शुल्क के रूप में राशि ₹57.96 लाख की वसूली शेष:-

(i) किराये के रूप में ₹3303538/- की वसूली न करने बारे:-

नगर परिषद का जन्जघर अवधि 1.11.06 से 31.10.07 तक के लिए मैसर्ज डी0के0एण्ड क0 को पट्टा राशि ₹325000/- प्रतिवर्ष की दर से नीलाम किया गया था प्रस्ताव संख्या 51 दिनांक 10.11.06 द्वारा पट्टा राशि में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करके 5 वर्ष के लिए विस्तार (Extension) दिया गया। जाँच में पाया कि मैसर्ज डी0के0 एण्ड क0 द्वारा नगर परिषद को पट्टे की राशि का भुगतान नहीं किया गया था और न ही नगर परिषद द्वारा इसके लेखे-जोखे के लिए कोई अभिलेख तैयार किया गया है। यह आपत्ति अंकक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2013 के पैरा संख्या 4 (VIII) में भी दर्ज की गई थी लेकिन आज तक इस बारे परिषद द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। उक्त भवन के किराये/पट्टे की राशि का लेखा जोखा न रखने के कारण पट्टे/किराये से प्राप्त राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। पट्टे की बकाया राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

अवधि	पट्टे की राशि
01.11.06 से 31.10.07	325000
01.11.07 से 31.10.08	341250
01.11.08 से 31.10.11	358313
01.11.09 से 31.10.10	376229
1.11.10 से 31.10.11	395040
01.11.11 से 31.10.12	414792
01.11.12 से 31.10.13	435532

01.11.13 से 31.10.14	457309
01.11.14 से 31.03.15	200073
योग	3303538

(ii) दण्ड शुल्क के रूप में ₹2492000/- की वसूली न करने बारे:-

अनुबन्ध की शर्त संख्या 4 के अनुसार पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि किराएदार, भवन को खाली नहीं करता है तो ₹2000/- प्रतिदिन की दर से दण्ड शुल्क वसूली की जानी अपेक्षित थी।

जाँच में पाया कि अनुबन्ध की अवधि दिनांक 31.10.2011 को समाप्त होने के पश्चात भी पट्टेदार ने भवन को खाली नहीं किया था। अतः अनुबन्ध की शर्त संख्या 4 के अनुसार दिनांक 01.11.11 से 31.03.15 तक कुल 1246 दिनों का ₹2000 प्रतिदिन की दर से ₹2492000/- का दण्ड शुल्क वसूला जाना अपेक्षित था।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 45 दिनांक 25.05.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उक्त वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किराये एवं दण्ड शुल्क की वसूली न करके पट्टेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा राशि ₹5795538/- की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

10.2 नगर परिषद के विश्राम गृह की नीलामी की बकाया राशि ₹6.99 लाख की वसूली न करना:-

जाँच में पाया कि नगर परिषद का विश्राम गृह वर्ष 2012-13 में एक वर्ष के लिए मै0 डी0के0एण्ड क0 को ₹201250/- में टेके पर दिया गया था लेकिन इसके पश्चात अनुबन्ध को बढ़ाने से सम्बन्धित दस्तावेज जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा मौखिक तौर पर बताया गया कि किराये की राशि में प्रतिवर्ष 15% की दर से वृद्धि करके अनुबन्ध की अवधि को 3 वर्ष तक बढ़ाया गया था। इस प्रकार दिनांक 31.03.15 तक ₹698842/- की राशि बकाया पाई गई:-

अवधि	किराये/पट्टे की राशि
दिनांक 01.04.13 को किराये की बकाया राशि	₹201250
वर्ष 2013-14	₹231438
वर्ष 2014-15	₹266154
कुल वसूली योग्य राशि	698842

जाँच में पाया कि उपरोक्त किराये का लेखा-जोखा रखने के लिए कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था और न ही किराये की राशि वसूलने के लिए नगर परिषद द्वारा किरायेदार को बिल जारी किए गए थे जिससे स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

अतः उक्त भवन के किराये राशि ₹698842/- की वसूली ब्याज सहित करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 रैहन बसेरा की नीलामी की बकाया राशि ₹0.71 लाख की वसूली न करने बारे:-

जाँच में पाया कि नगर परिषद द्वारा रैहन बसेरा के किराये प्राप्ति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे जिससे इस बात का पता चल सके कि इस भवन के किराये के रूप में कितनी राशि वसूली हेतु शेष थी। भवन के किराये के रूप में दिनांक 31.03.15 को वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

अवधि	वसूली योग्य राशि	प्राप्त राशि	बकाया राशि
दिनांक 01.04.13 को किराये की बकाया राशि	—	—	17500
2013-14	66125	66125	0
2014-15	76044	23000	53044
कुल बकाया राशि			70544

अतः उपरोक्त वर्णित किराये की राशि ₹70544/- की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें किराये की वसूली एवं बकाया राशि से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

10.4 पार्किंग स्थल की नीलामी की बकाया राशि ₹11.25 लाख की वसूली न करना:-

(I) पार्किंग स्थल चौगान नं0 3

इस पार्किंग स्थल की नीलामी वर्ष 2012-13 में ₹601000/- में की गई थी एवं इसके पश्चात पट्टे की राशि में 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि करके 3 वर्ष अर्थात् 31.03.15 तक बढ़ाया गया था लेकिन जाँच में पाया कि ठेकेदार द्वारा पट्टा राशि का नियमित भुगतान नहीं किया गया था। दिनांक 31.03.15 तक वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

अवधि	वसूली योग्य राशि	प्राप्त राशि	बकाया राशि
दिनांक 01.04.13 को किराये की बकाया राशि	—	—	1000
2013-14	661100	661000	100
2014-15	727210	—	727210
कुल बकाया राशि			728310

(II) राजीव गाँधी परिसर:-

वर्ष 2012-13 में इस पार्किंग स्थल की नीलामी ₹105000/- में की गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के नीलामी से सम्बन्धित दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये। सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा मौखिक तौर पर सूचित किया कि पार्किंग की नीलामी राशि में 15% की दर से वृद्धि करके पट्टे की अवधि 31.03.15 तक बढ़ाई गई थी। इस प्रकार दिनांक 31.03.15 तक ₹364613/- की राशि वसूली योग्य शेष है:-

अवधि	वसूली योग्य राशि	प्राप्त राशि	बकाया राशि
दिनांक 01.04.13 को किराये की बकाया राशि	—	—	105000
2013-14	120750	—	120750
2014-15	138863	—	138863
कुल बकाया राशि			364613

(III) मिनि सचिवालय परिसर:—

परिसर में स्थित पार्किंग से सम्बन्धित दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। श्री विलियम (लिपिक) द्वारा मौखिक तौर पर बताया कि वर्ष 2011-12 के पश्चात इस पार्किंग स्थल की नीलामी नहीं की गई थी। अतः पार्किंग स्थल की नीलामी न करने का औचित्य स्पष्ट करें। यदि वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में इस पार्किंग स्थल की नीलामी की गई थी तो इससे सम्बन्धित दस्तावेज आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं इन वर्षों की नीलामी राशि के साथ-2 वर्ष 2011-12 की बकाया राशि ₹32000/- की भी वसूली करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त वर्णित पार्किंग स्थलों की बकाया नीलामी की राशि ₹1124923/- की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.5 तहबाजारी शुल्क की राशि ₹0.54 लाख की कम वसूली करना:—

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2013 के पैरा संख्या 4 (i) में आपत्ति दर्ज की गई थी कि तैहबाजारी का माँग व वसूली रजिस्टर तैयार नहीं किया था एवं रजिस्टर तैयार करने बारे परामर्श दिया गया था लेकिन आज तक तैहबाजारी का उक्त रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिस कारण से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ₹54050/- की निम्न विवरणानुसार कम वसूली की गई थी:—

Year	Total Teh Bazari Holder	Rate P.M.	Teh Bazari to be collected	Actual Receipt	Less collection	Ledger Page
2013.14	95	₹150	171000	120000	51000	105
2014.15	95	₹150	171000	167950	3050	53

अतः उक्त अवधि में ₹54050/- की कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करने का औचित्य स्पष्ट करें इस राशि के साथ-2 वर्ष 2011-12 की बकाया राशि ₹32600 एवं वर्ष 2012-13 की बकाया राशि ₹41300/- की भी शीघ्र वसूली करके नगर परिषद के खाते में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। तैहबाजारी का माँग व वसूली का रजिस्टर शीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें।

11 ठेकेदार श्री शिवांक शर्मा को ₹63000/- का अनियमित/अनुचित भुगतान करने बारे:-

वाउचर संख्या 230/80/121 दिनांक 23.07.2014 द्वारा श्री शिवांक शर्मा को माह 3/2014, 4/2014 व 5/2014 के लिए कूड़े के सैग्रीगेशन कार्य हेतु राशि ₹42000/- प्रतिमास की दर से 50% राशि ₹63000/- का भुगतान किया गया। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय आदेश पत्र संख्या 586 से 589 दिनांक 12.06.2014 के अवलोकन से स्पष्ट होता है श्री शिवांक शर्मा द्वारा उक्त मासों में कार्य न करने के कारण अनुबन्ध को रद्द करके 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ मै0 सुविधा सैनिटेशन को आबंटित कर दिया गया। बिना कार्य किए श्री शिवांक शर्मा को भुगतान की गई राशि ₹63000/- को उचित ठहराने हेतु नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अध्याचना संख्या 37 दिनांक 11.05.2015 द्वारा स्पष्टीकरण माँग गया था परन्तु अंकेक्षण समापन तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः कार्य न करने की स्थिति में भुगतान की गई ₹63000/- को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा भुगतान की गई राशि की उचित स्रोत से वसूली कर परिषद निधि में जमा करने के साथ-2 अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.1 श्री शिवांक शर्मा द्वारा अनुबन्धानुसार कार्य के निष्पादन न करने के कारण अनुबन्ध को रद्द करके मै0 सुविधा सैनिटेशन को उच्च दरों पर राशि ₹6300 की वसूली न किया जाना:-

कार्य अनुबन्ध की शर्त संख्या 4 के अनुसार "The Contractor shall be penalized if work is not found satisfactory and MC can engage/hire some other persons at the risk and cost of the contractor without giving any further notice to faulty contractor."

श्री शिवांक शर्मा द्वारा अनुबन्धानुसार कार्य का निष्पादन न करने के कारण दिनांक 12.06.2014 से इस कार्य को मै0 सुविधा सैनिटेशन को 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ आबंटित किया गया। उपर वर्णित शर्त के अनुसार माह जून, जुलाई हेतु भुगतान की गई बढ़ौतरी की राशि ₹6300/- (2100+4200) की वसूली श्री शिवांक शर्मा से की जानी अपेक्षित थी जो वास्तव में वसूल नहीं की गई। जिसका कारण स्पष्ट करते हुए राशि ₹6300/- की वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

12 गौ सदन के निर्माण कार्य के लिए संविदाकार को राशि 0.21 लाख का अधिक भुगतान करना:—

वाउचर संख्या शून्य दिनांक 4.10.2014 के अन्तर्गत श्री अंकुश खन्ना ठेकेदार को गौ सदन के निर्माण कार्य के अन्तिम बिल की बकाया राशि ₹121831/- का भुगतान किया गया। नगर परिषद की बैठक दिनांक 24.10.2013 के प्रस्ताव संख्या 576 के अन्तर्गत निर्णय लिया कि "जैसा यह कार्य वर्ष 2011 में कुल राशि ₹467531 में पूर्ण किया गया है जिस हेतु जिलाधीश महोदय द्वारा ₹348700/- की अनुदान राशि प्रदान की गई थी क्योंकि जिलाधीश द्वारा शेष राशि प्रदान करने से मना कर दिया गया है। अतः ठेकेदार की बकाया राशि को जिलाधीश अनुदान राशियों पर अर्जित ब्याज की राशि से भुगतान कर दिया जाये।" तदनुसार ठेकेदार को उपर वर्णित भुगतान कर दिया गया। भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई:—

(क) माप पुस्तिका संख्या 37 के पृष्ठ 2 के अनुसार कार्य के अन्तिम बिल की राशि ₹467531/- थी जिसमें प्रथम बिल के लिए राशि ₹289858/- का भुगतान किया गया शेष राशि ₹177673/- में सभी कटौतियों के उपरान्त ठेकेदार को राशि ₹152267/- देय थी। इस राशि में से ठेकेदार को ₹51203 का भुगतान दिनांक 1.11.2014 को किया गया तथा शेष राशि ₹101064 के स्थान पर दिनांक 4.10.2014 को राशि ₹121831 का भुगतान कर दिया गया इस प्रकार ठेकेदार राशि ₹20767/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाये व जाँच उपरान्त अविलम्ब उचित स्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

13 संविदाकार को राशि ₹1.11 लाख का अधिक भुगतान करना:—

वाउचर संख्या:— 230 / 50 / 133 दिनांक 27.10.2014

कार्य का नाम:— कुरान्च में स्थापित कूड़ा सयन्त्र के लिए नदी के किनारे रिटेनिंग वाल का निर्माण

ठेकेदार का नाम:— श्री जालम सिंह

आबन्तन पत्र सं०:— 2634 दिनांक 6.2.2014 राशि ₹1251953

बिल संख्या:— दूसरा व अन्तिम बिल

माप पुस्तिका संख्या:- 42 पृष्ठ 32 व 43 पृष्ठ 21 से 57

सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार कार्य पूर्ण करने हेतु संविदाकार को 3 माह का समय दिया गया था अर्थात् कार्य दिनांक 28.05.2014 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था लेकिन संविदाकार द्वारा यह कार्य निर्धारित समय से 50 दिन बाद दिनांक 17.07.14 को पूर्ण किया गया। इस अवस्था में संविदाकार को या तो समय बढ़ौतरी स्वीकृत की जानी थी या फिर अनुबन्ध की धारा-2 के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी। उपलब्ध अभिलेख में न तो संविदाकार के पक्ष में परिषद द्वारा समय बढ़ौतरी स्वीकृत की गई थी और न ही अनुबन्ध की धारा 2 के अनुसार कार्रवाई की गई थी। अतः उक्त कार्रवाई को नियमानुसार उचित ठहराया जाए।

(ii) संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों की विभागीय न्यायोचितता के बिना नेगोशेशन के आधार पर दरों को कम करके कार्य को आबंटित कर दिया जोकि नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता। संविदाकार को आबंटित दरों का विवरण निम्न प्रकार था।

मद संख्या	मद का विवरण	अनुमान पत्र अनुसार दरें	ठेकेदार की दरें	नेगोशेशन उपरान्त दरें	कुल अधिक % जिस पर आबंटन किया गया
1	Clearance of debise/Malwa	60 P.cum	420/- P.Cum	390/- P.Cum	550 %
2	Execution in Earth work	167.55 P.Cum	250/- P.Cum	240/- P.Cum	43.24 %
3	Providing form work	132 P.gm	240/- P.Cum	239/- P.Cum	81.06%
4	C:C 1:5:6	2064.30 Pcum	3100/- P.Cum	3050/- P.Cum	47.74%

अतः विभागीय न्यायोचितता दरों के बिना कार्य के आबंटन को उचित ठहराया जाए अन्यथा तकनीकी स्वीकृति की राशि से अधिक राशि के लिए आबंटित कार्य राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

(iii) प्रथम बिल में माप पुस्तिका संख्या 43 पृष्ठ 21 अनुसार CC 1:5:10 की कार्य मात्रा 243.19 घन मीटर निष्पादित व भुगतान की गई। माप पुस्तिका संख्या 43 पृष्ठ 58 के अनुसार दूसरे कार्य बिल के लिए सी0सी0 1:5:10 की कार्य मात्रा 93.24 घन मी0 निष्पादित की गई इस राशि में से 15% की कटौती करने के उपरान्त कुल 79.26 घन मीटर का भुगतान किया गया। इसी प्रकार प्रथम चलित बिल में निष्पादित सी0सी0 1:5:10 की कार्य मात्रा 243.19 घन मीटर से भी 15% की कटौती की जानी अपेक्षित थी। अतः प्रथम चलित बिल में सी0सी0 1:5:10 की निष्पादित कार्य मात्रा 243.19 घन मीटर से 15% की कटौती न करने के कारणों की स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई कार्य मात्रा 36.47 घन मीटर (243.19x15%) दर 3050 प्रति घन मीटर से राशि ₹111259 की वसूली सुनिश्चित करें।

14 ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण न करने के कारण अनुबन्ध की धारा-2 के अनुसार कार्रवाई न करना:-

निम्न निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं किया गया। परिषद द्वारा आबंटन पत्र की शर्तों तथा अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार न तो ठेकेदारों के पक्ष में कार्य समापन के लिए निर्धारित समय में बढ़ौतरी से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किए गए और न ही अनुबन्ध की धारा 2 के अनुसार संविदाकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई। अतः इन निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित समय सीमा में बढ़ौतरी न करने की अवस्था में अथवा अनुबन्ध की धारा 2 के अनुसार कार्रवाई न करके बिलों के भुगतान को उचित ठहराया जाए। अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए।

वा0सं0	ठेकेदार का नाम व कार्य का नाम	कार्य आबंटन पत्र संख्या 1 दिनांक व राशि	माप पुस्तिका अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	नियमानुसार दण्ड स्वरूप वसूल की जाने वाली राशि
230 / 50 / 54 व 72	M/S AAR Kay Steel Industries P/F Railing (mter locking chain)Adrash Nagar near sharuti house, Hardaspura	61/MCC dated 22.5.2014 @ 179432	MB No. 43 Page 60&62 dated 1.10.14	17943

230 / 50 / 111	Sh. Chandan Singh Chanalization of Nallah at creamination road in Muhalla Julakhari	2813&2815 dated 24- 02-14 @ 147045	Mb No. 43 Page 64&67 dated 13-10-14	14704
230 / 50 / 112	Sh. Abdul Gami C/O Drain & Path at Lohari from CJM residence to Manno House hardaspura	38/MCC dated 22- 05-14 @ 548940	MB No 43 Page 69&71 dated 13-10-14	54894
230 / 50 / 200	Sh. Yogesh Chadha P/L C%C Paves at Bangotu (Gupta Gali)	58/MCC dated 22-5- 14 @83300	Mb No. 43 Page 71 dated 11-10- 14	8330

15 वाउचर संख्या:— 230 / 50 / 110 माह 10 / 2014

कार्य का नाम:— मुहल्ला टुकरु वार्ड हरदासपुर जिला चम्बा में जल के प्राकृतिक स्रोत का पुनः निर्माण

ठेकेदार का नाम:— श्री लोकेन्द्र कुमार

कार्य आबंटन का पत्र नं० 28 / एम०सी०सी० दिनांक 22.05.2014 राशि ₹240515

इस कार्य हेतु निविदाएँ टैण्डर नोटिस 2543-2549 दिनांक 31.01.2014 द्वारा आमन्त्रित की गई। निविदा पत्र की क्रम संख्या 16 द्वारा उक्त कार्य हेतु व क्रम संख्या 14 पर इसी वार्ड के मुहल्ला मिन्दा में जल स्रोत के निर्माण हेतु निविदाएँ आमन्त्रित की गई। इन दोनों कार्यों हेतु श्री लोकेन्द्र कुमार द्वारा अपने टैण्डर में एक सामान दरें दी गई तथा न्यूनतम दरें होने के कारण दोनों कार्य श्री लोकेन्द्र कुमार को आबंटित किये गये आबंटन पूर्व सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 1.3.2014 को ठेकेदार के साथ दोनों कार्यों हेतु नेगोशेशन की गई जिसमें आर०आर० मैसनरी कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा ₹4000 प्रति घन मीटर की दरें दी गई जिन्हें नेगोशेशन उपरान्त मुहल्ला मिन्दा के कार्य में ₹3500/- प्रति घन मीटर की दर पर आबंटित किया गया जबकि उक्त कार्य में आर०आर० मैसनरी की दर ₹3800 प्रति घन मीटर की

आबंटित की गई। अतः जब दोनों कार्य एक प्रकृति के एक ही वार्ड में निष्पादित होने थे तो संविदाकार को अलग-अलग दर ₹3500 व ₹3800 प्रति घन मीटर पर आबंटन/भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त कार्य में निष्पादित आर0आर0 मैसनरी 44.50 घन मीटर कार्य हेतु ₹3800/- प्रति घन मीटर की दर पर भुगतान अर्थात् ₹300/- प्रति घन मीटर की दर पर कुल राशि ₹13350/- के अधिक भुगतान को न्यायाचित ठहराया जाये अन्यथा राशि को उचित स्रोत से वसूली करने के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 ठेकेदार को ₹13689/- का अनुचित लाभ:-

वाउचर संख्या 230/50/55 व 71 माह 10/2014 के द्वारा श्री यादव नन्दन चौना को मुहल्ला पक्का ताला में नाले की मुरम्मत के कार्य के प्रथम बिल की राशि ₹48174/-का भुगतान किया गया। इस कार्य का ईन्द्राज माप पुस्तिका संख्या 43 के पृष्ठ 51 व 52 पर लिया गया। यह कार्य पत्र संख्या 1219-1222/एम0सी0सी0 दिनांक 16.8.2013 द्वारा कुल राशि ₹88725/- के लिये ठेकेदार को आबंटित किया गया था। इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई।

(क) Register of Tender for work पृष्ठ 94 के अनुसार इस कार्य हेतु तीन ठेकेदारों द्वारा अपनी निविदाएँ की गई परन्तु कार्य हेतु धरोहर राशि केवल एक ठेकेदार अर्थात् कार्य के ठेकेदार श्री यादव नन्दन द्वारा ही जमा करवाई गई, क्योंकि धरोहर राशि के बिना निविदाएँ/टैण्डर नहीं खोले जा सकते थे परन्तु नगर परिषद द्वारा उन्हें स्वीकृत किया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा विभागीय न्यायोचितता बनाकर किये गये कार्य आबंटन को उचित ठहराया जाये।

(ख) इस कार्य की केवल 3 मदों में से ठेकेदार द्वारा अपने प्रथम बिल में केवल एक मद, मद संख्या (1) (आर0आर0 मैसनरी वर्क) कुल 25.20 घन मीटर की जगह केवल 15.54 घन मीटर निष्पादित की गई शेष कोई कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित नहीं किया गया विभाग द्वारा ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न करने के कारण उसके विरुद्ध नियमानुसार कोई कार्यवाही अमल में न लाकर, बल्कि प्रथम बिल से काटी गई सक्वोरिटी की राशि ₹4817/-को दिनांक 20.01.2015 को वापिस कर दिया जबकि नियमानुसार कार्य पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार की प्रतिभूती राशि ₹4817 को जब्त करने के साथ-साथ आबंटित कार्य की कुल राशि ₹88725/- का 10

प्रतिशत ₹8872 दण्ड स्वरूप वसूल किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार कार्यवाही अमल में न लाने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा ठेकेदार को दिये गये अनुचित लाभ राशि ₹13689 (4817+8872) की जिम्मेवारी निर्धारित कर व उचित स्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

17 कार्य का नाम:— C/O Parking near T.B. Hospital Chamba

अनुमानित राशि:— ₹655343/—

आबंटन पत्र:— पत्र संख्या 293-296 दिनांक 30.04.13 ₹744094 13.54% above HPSR-2009

संविदाकार का नाम:— श्री भूपेन्द्र सिंह

भुगतान की गई राशि:— ₹1377230

माप पुस्तिका:— 40, 42

वाउचर संख्या:— Vr. No. 230/51/55 dated 07.02.14 (अन्तिम बिल)

आबंटित राशि:— ₹6090000/- for construction of parking

vide letter No. UD/H (c) (2)-1/2008-III 17393-407 dated 25-08-11, 26494-26504 dated 03.12.11, 28341-57 dated 28.12.11, 437-50 dated 11.01.12

उपरोक्त निर्माण कार्यों में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई:—

उपरोक्त कार्यों के आबंटन से पूर्व न्यायसंगत दरों का निर्धारण नहीं किया गया था जिससे पता चल सके कि आबंटित दरें न्यायसंगत थी अथवा नहीं। अतः न्यायसंगत दरों का निर्धारण न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं दरों का निर्धारण करके आबंटन को उचित ठहराया जाये।

(i) प्रथम कार्य के अन्तिम बिल में संविदाकार को कुल ₹1377230/— का भुगतान किया गया था जबकि आबंटन राशि ₹744094/— थी। अतः इस कार्य के निष्पादन पर 85% का अधिक विचलन (Deviation) पाया गया था जिसके लिए नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, संशोधित प्राकलन एवं विचलन विवरणी इत्यादि तैयार करके अनुमोदित करवाना जरूरी था, जोकि नहीं करवाया गया था। अतः नियमों के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण करके अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवायें।

18 ₹595330 /— का संविदाकार को अनुचित भुगतान:—

कार्य का नाम:— C/O PCC R/Wall side of PWD Road near TB Hospital

अनुमानित राशि:—₹360480 /—

आबंटन पत्र संख्या:— Letter No. 2802 dated 22.02.14 ₹586180/- @ 62.61% above HPSR-2009

संविदाकार का नाम:— श्री भूपेन्द्र सिंह

माप पुस्तिका:— 43

बिल का विवरण:— प्रथम एवं अन्तिम बिल

वाउचर संख्या:— 230 / 51 / 127 dated 22.04.14

उक्त कार्य नगर परिषद द्वारा निर्माणाधीन पार्किंग स्थल पर निष्पादित करवाया गया जिसके निर्माण का कार्य इसी ठेकेदार (श्री भूपेन्द्र सिंह) को आबंटन पत्र संख्या 293-296 दिनांक 30.04.13 द्वारा आबंटित किया गया था। माप पुस्तिका संख्या 40 के पृष्ठ 78 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार पार्किंग बनाने हेतु निर्माण स्थल श्री भूपेन्द्र सिंह, ठेकेदार को दिनांक 19.06.13 को सौंपा गया था।

उक्त वर्णित कार्य का निष्पादन पार्किंग के निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग की सड़क/डंगा गिर जाने के कारण करवाया गया था। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अध्याचना संख्या 29 दिनांक 30.04.15 द्वारा लोक निर्माण विभाग की सड़क पर नगर परिषद द्वारा डगे के निर्माण का औचित्य स्पष्ट करने बारे कहा गया था। परन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस सन्दर्भ में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है मूल कार्य C/O Parking near T.B. Hospital Chman के अनुबन्ध की शर्त संख्या 12 "Any damage done to the existing structure during the construction will have to be borne by the contractor and nothing extra on this behalf will be paid." के अनुसार इस नुकसान हेतु ठेकेदार श्री भूपेन्द्र सिंह ही उत्तरदायी था एवं ठेकेदार द्वारा ही अपने खर्च पर डगे के कार्य का निष्पादन किया जाना अपेक्षित था परन्तु ठेकेदार को नगर परिषद के खाते से भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमों के अनुसार इस कार्य के आबंटन एवं निष्पादन पर खर्च की गई राशि को उचित

ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के चम्बा मण्डल से 19 ड्रम तारकोल के प्राप्त करने बारे:-

भण्डार रजिस्टर की जाँच में पाया कि माह 10/2013 के अस्थाई प्रकृति के भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 7 में 19 ड्रम तारकोल हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के चम्बा मण्डल से प्राप्त किए दर्शाए गये थे जिनका निर्गमन/उपयोग नगर परिषद के विभिन्न विकास कार्यों हेतु किया गया था लेकिन अंकेक्षण के दौरान इन ड्रमों की प्राप्ति के एवज़ में सम्बन्धित विभाग को भुगतान से सम्बन्धित कोई अभिलेख इत्यादि आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये जिससे पता चल सके कि इन ड्रमों की प्राप्ति लोक निर्माण विभाग से की गई थी। अतः अंकेक्षण अधियाचना संख्या 39 दिनांक 16.05.15 द्वारा इन ड्रमों की प्राप्ति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु कार्यकारी अधिकारी को लिखा गया था लेकिन इससे सम्बन्धित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इन ड्रमों की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

20 ₹77724/- का ग्रास कटर क्रय करने बारे:-

वाउचर संख्या 230/51/136 दिनांक 27.10.14 की जाँच में पाया कि बिल संख्या 622 दिनांक 10.09.13 द्वारा M/S Raj Electrical, Gagret से ₹77724/- का एक ग्रास कटर (Honda Make) का क्रय किया गया था, जिसमें निम्नलिखित अनियमितारें पाई गई:-

- (1) उपरोक्त बिल एवं भण्डार रजिस्टर में दर्ज सामग्री की Specification नहीं लिखी गई थी।
- (2) आपूर्तिकर्ता द्वारा ग्रास कटर की आपूर्ति 10.9.13 को की गई थी जबकि भुगतान एक वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत करने के पश्चात दिनांक 27.10.14 को किया गया था।
- (3) आपूर्तिकर्ता को दिनांक 27.10.14 को भुगतान करने के पश्चात प्रस्ताव संख्या 646 दिनांक 20.11.14 को स्वीकृति प्राप्त की गई थी।
- (4) भुगतान की पावती आपूर्तिकर्ता से प्राप्त नहीं की गई थी।

अतः भण्डार रजिस्टर एवं बिल में सामग्री की Specification वर्णित न करने, लगभग एक वर्ष उपरान्त आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने, भुगतान करने के पश्चात सक्षम अधिकारी की

स्वीकृति प्राप्त करने एवं भुगतान की पावती प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

21 वाहन संख्या एच0पी0-48-4222 में 139.34 लीटर डीजल की अधिक खपत करने बारे:-

वाहन संख्या एच0पी0-48-4222 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 03/2014 से 02/2015 तक डीजल की खपत 3.99 से 4.45 कि०मी० प्रति लीटर की दर से की गई थी जबकि ऐजेन्सी द्वारा इस वाहन की औसत 4.50 कि०मी० प्रति लीटर प्रमाणित की गई थी। इस प्रकार उक्त अवधि में 139.34 लीटर डीजल की अधिक खपत की गई थी इसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

Month	Diesel Consumed	Total KM Covered	KM to be required	Less KM Covered by vehicle	Excess consumption of Diesel
03/2014	550 Ltr.	2432 KM	2475 KM	43 KM	9.50 Ltr.
04/2014	500 Ltr.	2226KM	2250 KM	24 KM	5.30 Ltr
06/2014	550 Ltr.	2356 KM	2475 KM	119 KM	26 Ltr
08/2014	650 Ltr.	2887 KM	2925 KM	38 KM	8.40 Ltr
10/2014	550 Ltr.	2401 KM	2475 KM	74 KM	16.40 Ltr
11/2014	550 Ltr.	2397 KM	2475 KM	78 KM	17.30 Ltr
02/2015	500 Ltr.	1996 KM	2250 KM	254 KM	56.44 Ltr
					139.34 Ltr

अतः अधिक खपत की गई डीजल की मात्रा 139.34 लीटर के बाजार मूल्य के बराबर की राशि की उचित स्रोत से वसूली करके नगर परिषद के खाते में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

22 धरोहर राशियों से सम्बन्धित अभिलेख के रख-रखाव बारे:-

(क) नगर परिषद द्वारा कोई ऐसा अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसमें ठेकेदारों द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु जमा करवाई गई धरोहर राशि का लेखा जोखा रखा गया हो। नगर परिषद द्वारा वर्ष 2014-15 में विभिन्न ठेकेदारों को धरोहर राशि ₹265512.00 का भुगतान किया गया। इस विषय में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 30 दिनांक 30.04.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी

नगर परिषद से स्थिति स्पष्ट करने व वर्तमान नगर परिषद के पास विभिन्न कार्यों की और कितनी धरोहर राशियाँ जमा हैं, का पूर्ण विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण समापन तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः धरोहर राशियों का अलग से अभिलेख न रखने का कारण स्पष्ट किया जाये। वर्ष 2013-14 व 2014-15 में जितनी धरोहर राशियाँ वापिस की गई हैं उनसे सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख तैयार कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये। कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) वाउचर संख्या 340/10/37 व 340/10/64 माह 9/2014 के अन्तर्गत निम्न ठेकेदारों की जमा धरोहर राशियों का भुगतान किया गया परन्तु इन राशियों की प्राप्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

वाउचर संख्या	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम जिसकी धरोहर राशि वापिस की गई	राशि (₹)
340/10/37	श्री हंस राज मैहता	(i) प्राइमरी स्कूल झलारी में बिजली की फिटिंग	1000
		(ii) मिडल स्कूल हरदासपुर में बिजली की फिटिंग	2000
340/10/64	मै० कमला स्टील इण्डस्ट्री	चम्बा में लोहे के जंगलों की आपूर्ति करना	1400
	मै० आर०के० स्टील इण्डस्ट्री	चम्बा में लोहे के जंगलों की आपूर्ति करना	1400
	मै० सवीनो फर्नीशर्स	चम्बा में लोहे के जंगलों की आपूर्ति करना	1400

(ग) श्री लोकेन्द्र कुमार (ठेकेदार) निवासी मुहल्ला हरदासपुरा को उनकी प्रतिभूति राशि ₹11630/- का भुगतान किया गया। परन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित कोई अभिलेख/वाउचर इत्यादि जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शाकर व किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

23 स्थापना (Establishment) पर ₹158.53 लाख का अनियमित/अधिक व्यय:-

नगर पालिका अधिनियम 1994 के अनुच्छेद 53 (i) (c) के अनुसार स्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग के बराबर राशि खर्च की जा सकती है। जाँच में पाया कि अंकेक्षण अवधि

के दौरान स्थापना पर राशि ₹15853038/- का अनियमित रूप में व्यय किया गया। इसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Year	Total Expenditure	Required 1/3 rd expenditure on establishment	Actual expenditure on establishment	Excess expenditure on establishment
2013-14	47358424	15786141	23297176	7511035
2014-15	56326806	18775602	27117605	8342003
कुल अधिक व्यय राशि				15853038

अतः स्थापना पर नियमों में निर्धारित राशि से अधिक राशि ₹15853038/- के व्यय करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इसकी कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

23.1 वाउचर संख्या 210/10/143 व 144 दिनांक 26.10.2014 के द्वारा नगर परिषद के 12 कर्मचारियों को 20 वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृति करने के कारण वेतन व भत्तों की बकाया राशि ₹135424/- का भुगतान किया गया। सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई।

(क) श्री विक्टर (सफाई मजदूर) की बकाया राशि की गणना में आहरित वेतन को कम दर्शाकर राशि ₹451 का अधिक भुगतान कर दिया गया जिसका निम्नलिखित है।

अवधि	देय वेतन	बकाया राशि की गणना में लिया गया आहरित वेतन	वास्तव में आहरित वेतन	अन्तर	अधिक आहरित राशि के साथ दिया गया डी0ए0	अवधि	अधिक भुगतान की गई राशि
1.10.12 से	11560	11210	11230	20	14	3 माह	34x3=102
31.12.12 तक							
1.1.13 से	11560	11210	11230	20	16	6 माह	36x6=216
30.6.13 तक							

1.7.13 से 31.7.13	11560	11210	11230	20	18	1 माह	38
1.8.13 से 31.12.13	11910	11560	11570	20	9	5 माह	19x5=95

451

(ख) श्रीमती चम्पा (माली) की सेवा पंजिका की जाँच में पाया गया कि दिनांक 01.01.2012 से उनका वेतन गलत निर्धारण कर प्रतिमाह ₹10 अधिक (मूल वेतन) भुगतान किया गया। इस प्रकार उन्हें कुल राशि ₹426 का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

अवधि	निर्धारित व भुगतान किया गया वेतन	नियमानुसार देय वेतन	अन्तर प्रति माह	अन्तर की राशि पर भुगतान किया गया डी0ए0	अवधि में भुगतान की गई अधिक राशि
1.1.12 से 30.6.12	10410+1300	10400+1300	₹10	@65%=₹7	17x6=102
1.7.12 से 31.7.12	10410+1300	10400+1300	₹10	@72%=₹7	17x1=17
1.8.12 से 30.9.12	10770+1300	10760+1300	₹10	@72%=₹7	17x2=34
1.10.12 से 31.12.12	10770+1650	10760+1650	₹10	@72%=₹7	17x3=51
1.1.13 से 30.6.13	11150+1650	11140+1650	₹10	@80%=₹8	18x6=108
1.7.13 से 31.12.13	11150+1650	11140+1650	₹10	@90%=₹9	19x6=114

कुल अधिक भुगतान 426

(ग) सुरेन्द्र कुमार (सफाई मजदूर) को बकाया राशि का भुगतान करते समय माह 3/2013 व 4/2013 में निम्न प्रकार भुगतान किया गया:-

वास्तविक वेतन			भुगतान किया गया वेतन		
देय वेतन	आहरित वेतन	अन्तर	देय वेतन	आहरित वेतन	अन्तर
				वेतन	
12140	11790	350	12510	12140	370

इस प्रकार बकाया राशि की गणना में देय वेतन की राशि ₹350/- प्रतिमास के स्थान पर राशि 370 प्रतिमास की दर से भुगतान करने पर कर्मचारी को 36 प्रतिमास (मूलवेतन 20% + डी0ए0 16 प्रतिमास) की दर से राशि ₹72 का अधिक भुगतान किया गया।

23.2 अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न वर्णित कर्मचारियों को नियमानुसार देय वेतन से अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया। अतः निम्न विवरणानुसार भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

कर्मचारी का नाम व पद	भुगतान किया गया मूल वेतन	नियमानुसार देय मूल वेतन	अधिक दिया गया मूल वेतन	अवधि जिसमें अधिक भुगतान किया गया	अधिक भुगतान पर दिया गया डी0ए0	कुल किया गया अधिक भुगतान
श्री दिनेश शर्मा सेवादार	₹10990 प्रतिमाह	₹10970 प्रतिमाह	₹20 प्रतिमाह	4/13 से 8/13 तक	3 माह तक ₹16 प्रतिमाह 2 माह तक ₹18 प्रतिमाह	36x3=108 38x2=76 184
श्री महिन्द्र सफाई मजदूर	₹10600 प्रतिमाह	₹10580 प्रतिमाह	₹20 प्रतिमाह	9/13 से 3/14 तक	4 माह तक ₹18 प्रतिमाह 3 माह तक ₹20 प्रतिमाह	38x4=152 40x3=120 272
श्रीमती सुधा सफाई मजदूर	₹10600 प्रतिमाह	₹10580 प्रतिमाह	₹20 प्रतिमाह	9/13 से 3/14 तक	4 माह तक ₹18 प्रतिमाह 3 माह तक ₹20 प्रतिमाह	272

श्री राकेश सफाई मजदूर	₹12150	₹12140	₹10 प्रतिमाह	3/14 से 12/14 तक	4 माह तक ₹10 प्रतिमाह 6 माह तक ₹11 प्रतिमाह	20x4=80 21x6=126 206
-----------------------------	--------	--------	-----------------	------------------------	---	----------------------------

23.3 नगर परिषद कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि श्री गुरिया (मेट) द्वारा दिनांक 1.9.2014 को निजिकारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे नगर परिषद द्वारा बैठक दिनांक 20.11.2014 के प्रस्ताव संख्या 629 के अन्तर्गत स्वीकृत कर इस प्रकरण को निदेशक, शहरी निकाय हिमाचल प्रदेश को भेजने हेतु कहा गया। निदेशक, शहरी निकाय द्वारा पत्र संख्या 10003 दिनांक 23.12.2014 द्वारा नगर परिषद को इस सन्दर्भ में निर्णय लेने हेतु सक्षम ठहराते हुये आगामी निर्णय लेने का परामर्श दिया गया परन्तु नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में आगे क्या कार्यवाही अमल में लाई गई कुछ स्पष्ट नहीं हो सका। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से अंकेक्षण अध्याचना संख्या 26 दिनांक 28.04.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। क्योंकि श्री गुरिया मेट को नियमित रूप से वेतन भत्तों का भुगतान किया गया है। अतः श्री गुरिया मेट के त्यागपत्र पर की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि उन्हें किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जा सके।

24 छुट्टियों का इन्द्राज सेवा पुस्तिकों में न करने बारे:-

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि परिषद के निम्न कर्मचारियों द्वारा व्यतीत की गई छुट्टियों (अर्जित अवकाश व चिकित्सा अवकाश) को उनकी सेवा पंजिकाओं में इन्द्राज नहीं किया गया था। कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किए गए अवकाश का उनकी सेवा पंजिका में इन्द्राज न करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि सेवा निवृत्ति पर प्रत्येक कर्मचारी को उसके खाते में जमा शेष अर्जित अवकाश का भुगतान किया जाता है अगर खाते में कुछ अर्जित अवकाश शेष न हो तो काटे गये अवकाश, अवैतनिक होता है। अतः कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किए गए अवकाश का सेवा पंजिका में इन्द्राज न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में कर्मचारियों द्वारा काटे गये अवकाश का सेवा पंजिका में इन्द्राज करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम व पद	अवकाश की अवधि जिसका कर्मचारी के खाते/सेवा पंजिका में ईन्द्राज नहीं लिया गया	कुल दिन
1	श्रीमती चम्पा (माली)	8.5.14 से 17.5.14 तक =10 दिन 20.5.14 से 26.5.14 तक =7 दिन 4.7.14 से 12.7.14 तक=9 दिन 1.8.14 से 30.8.14 तक=30 दिन 1.9.14 से 30.9.14 तक =30 दिन 17.10.14 से 29.10.14 तक=13 दिन 1.12.14 से 12.12.14 तक=12 दिन 3.3.14 से 13.3.14 तक=11 दिन 122 दिन	122 दिन
2	श्रीमती पूनम (लिपिक)	8.9.14 से 12.9.14 तक =5 दिन 13.10.14 से 18.10.14 तक =6 दिन 30.3.15 व 31.3.15 =2 दिन 13 दिन	13 दिन
3	श्रीमती नर्सो (लिपिक) C.O.	14.10.14 से 18.10.14 तक =5 दिन 19.2.14 से 26.2.14 तक =8 दिन	13 दिन
4	श्री नन्द किशोर	6.1.15 से 31.1.15 तक =26 दिन 10.2.15 से 18.2.15 तक= 9 दिन 1.2.14 से 28.2.14 तक=28. दिन 1.3.14 से 31.3.14 तक=31 दिन 94 दिन	94 दिन
5	श्री विलियम (लिपिक)	16.11.14 से 29.11.14=4 दिन 1.12.14 से 12.12.14=12 दिन 24.2.14 से 28.2.14=5 दिन	19 दिन
6	श्रीमती पवनेश (लिपिक)	24.3.14 से 30.3.14=7 दिन	7 दिन
7	श्री परवेज (सफाई कर्मचारी)	26.4.13 से 30.4.13=5 दिन 1, 2, 6.5.13 से 8.5.13=5 दिन	

		11.5.13 से 31.5.13=21 दिन	
		1.6.13 से 23.6.13=23 दिन	
		9.9.13 से 15.9.13=7 दिन	
		21.10.13 से 31.10.13=11 दिन	
		1.11.13 से 8.11.13=8 दिन	
		12.3.14 से 20.3.14=9 दिन	
		5.8.14 से 31.8.14=27 दिन	
		1.9.14 से 3.9.14=3 दिन	
		1.10.14 से 9.10.14=9 दिन	128 दिन
8	श्री विक्टर	2.11.13 से 8.11.13=7 दिन	
		24.10.14 से 28.10.14=5 दिन	12 दिन
9	श्री महिन्द्र (सफाई कर्मचारी)	14.9.13 से 23.9.13=10 दिन	
		9.8.14 से 23.8.14=15 दिन	
		1.2.15 से 4.2.15=4 दिन	29 दिन
10	श्री अनिल (स0क0)	25.4.13 से 30.4.13=6 दिन	
		1.6.13 से 10.6.13=10 दिन	16 दिन
11	श्री राकेश	15.2.14 से 28.2.14=14 दिन	
		28.10.14 से 31.10.14=4 दिन	
		1.2.15 से 10.2.15=10 दिन	
		25.3.15 से 31.3.15=7 दिन	35 दिन
12	श्री सुनील	13.3.14 से 31.3.14=19 दिन	
		1.4.14 से 14.4.14=14 दिन	
		12.4.15 से 17.4.15=6 दिन	39 दिन
13	श्री सुरिन्द्र (स0क0)	15.4.13 से 21.4.13=7 दिन	
		4.10.13 से 16.10.13=13 दिन	20 दिन
14	श्री रमेश (स0क0)	6.4.13 से 13.4.13=8 दिन	
		22.4.13 से 30.4.13=9 दिन	
		1.5.13 से 31.5.13=31 दिन	
		1.6.13 से 30.6.13=30 दिन	

		6.8.13 से 31.8.13=26 दिन	
		8.10.13 से 16.10.13=9 दिन	
		25.10.13 से 31.10.13=7 दिन	
		1.11.13 से 30.11.13=30 दिन	
		1.12.13 से 31.12.13=31 दिन	
		1.1.14 से 31.1.14=31 दिन	
		3.2.14 से 28.2.14=26 दिन	
		4.9.14 से 11.9.14=8 दिन	
		12.1.15 से 31.1.15=20 दिन	
		1.2.15 से 27.2.15=27 दिन	293 दिन
15	श्रीमती दामो (स0क0)	1.6.14 से 30.6.14=30 दिन	
		1.7.14 से 6.7.14=6 दिन	
		11.9.14 से 18.9.14=8 दिन	44 दिन
16	श्रीमती नरगिस (स0क0)	19.7.13 से 28.7.13=10 दिन	
		5.10.13 से 14.10.13=10 दिन	
		10.12.13 से 14.12.13=5 दिन	
		10.2.14 से 28.2.14=19 दिन	
		1.3.14 से 20.3.14=20 दिन	
		9.4.14 से 23.4.14=15 दिन	
		15.5.14 से 31.5.14=17 दिन	
		1.6.14 से 7.6.14=7 दिन	
		21.9.14 से 29.9.14=9 दिन	
		10.1.15 से 19.1.15=9 दिन	
		25.2.15 से 28.2.15=4 दिन	
		1.3.15 से 9.3.15=9 दिन	
		17.3.15 से 31.3.15=15 दिन	149 दिन
17	श्रीमती वीना (स0क0)	16.4.13 से 23.4.13=8 दिन	
		29.11.13 से 30.11.13=2 दिन	
		1.12.13 से 4.12.13=4 दिन	

		24.3.14 से 31.3.14=8 दिन	
		1.4.14 से 2.4.14=2 दिन	
		17.6.14 से 21.6.14=5 दिन	
		1.9.14 से 7.9.14=7 दिन	
		1.2.15 से 9.2.15=9 दिन	45 दिन
18	श्रीमती सुधा (स0क0)	27.8.14 से 31.8.14=5 दिन	5 दिन
19	श्रीमती सरोज (स0क0)	24.3.14 से 31.3.14=8 दिन	
		1.4.14 से 8.4.14=8 दिन	
		12.5.14 से 31.5.14=20 दिन	
		1.6.14 से 6.6.14=6 दिन	
		2.9.14 से 6.9.14=5 दिन	
		23.10.14 से 28.10.14=6 दिन	
		9.1.15 से 16.1.15=8 दिन	61 दिन
20	श्री अमर चन्द (स0क0)	1.2.15 से 8.2.15=8 दिन	8 दिन
21	श्री सुरेश (स0क0)	9.10.13 से 28.10.13=20 दिन	20 दिन
22	श्रीमती आशा (स0क0)	20.5.13 से 31.5.13=12 दिन	
		11.10.13 से 17.10.13=7 दिन	
		6.11.13 से 10.11.13=5 दिन	
		29.11.13 से 30.11.13=2 दिन	
		1.12.13 से 31.12.13=31 दिन	
		7.1.14 से 13.1.14=7 दिन	
		14.1.14 से 31.1.14=18 दिन	
		1.2.14 से 28.2.14=28 दिन	
		3.4.14 से 7.4.14=5 दिन	
		6.5.14 से 31.5.14=26 दिन	
		7.6.14 से 30.6.14=24 दिन	
		1.7.14 से 23.7.14=23 दिन	
		6.8.14 से 31.8.14=26 दिन	
		1.9.14 से 21.9.14=21 दिन	

		24.9.14 से 30.9.14=7 दिन	
		10.1.15 से 16.3.15=66 दिन	308 दिन
23	श्री अजय हाण्डा	5.4.13 से 8.4.13= 4 दिन	
		13.4.13 से 15.4.13=3 दिन	
		26.4.13 से 30.4.13=5 दिन	
		1.5.13 से 2.5.13=2 दिन	
		5.5.13 से 31.5.13=27 दिन	
		1.9.13 से 30.9.13=30 दिन	
		8.4.14 से 30.4.14=23 दिन	
		1.5.14 से 30.6.14=61 दिन	
		1.9.14 से 30.11.14=91 दिन	
		1.1.15 से 28.2.15=59 दिन	305 दिन
25	श्री सलीम (स0क0)	4.2.15 से 15.2.15=12 दिन	12 दिन
26	श्री विलियम (स0क0)	12.5.14 से 29.5.14=18 दिन	18 दिन
27	श्री पवन (स0क0)	9.8.13 से 14.8.13=6 दिन	
		2.9.13 से 16.9.13=15 दिन	
		1.6.14 से 20.6.14=20 दिन	
		2.9.14 से 22.9.14=21 दिन	62 दिन
28	श्री राजेश (स0क0)	9.9.13 से 30.9.13=22 दिन	
		4.1.15 से 31.1.15=28 दिन	50 दिन
29	श्री रणजीत (स0क0)	6.11.13 से 13.11.13=8 दिन	
		5.11.14 से 12.11.14=8 दिन	16 दिन
30	श्री कैलसो (बेलदार)	25.6.14 से 10.7.14=16 दिन	16 दिन
31	श्री किशोरी (बेलदार)	24.10.13 से 26.10.13=3 दिन	3 दिन
32	श्री राकेश (बेलदार)	12.4.14 से 21.4.14=10 दिन	
		25.5.14 से 10.6.14=17 दिन	
		9.6.13 से 25.6.13=17 दिन	
		10.1.15 से 17.1.15=8 दिन	52 दिन
33	श्री तरबीजो (बेलदार)	25.5.14 से 10.6.14=17 दिन	17 दिन

34	श्री गुरिया (मेट)	1.4.13 से 6.4.13=6 दिन 8.11.13 से 30.11.13=23 दिन 1.12.13 से 2.1.14=33 दिन 12.4.14 से 16.4.14=5 दिन 29.5.14 से 19.6.14=22 दिन 10.9.14 से 24.9.14=15 दिन 8.1.15 से 7.2.15=31 दिन	135 दिन
35	श्री जर्मो (बेलदार)	21.8.13 से 24.8.13=4 दिन 20.9.13 से 4.10.13=15 दिन 1.6.13 से 7.6.13=7 दिन	26 दिन
36	श्री राजू (बेलदार)	17.9.13 से 20.9.13=4 दिन 4.4.14 से 7.4.14=4 दिन 2.5.13 से 24.5.13=23 दिन	31 दिन
37	श्री चरण सिंह (बेलदार)	16.9.13 से 30.9.13=15 दिन 22.9.14 से 31.9.14=10 दिन	25 दिन
38	श्री केहर सिंह (बेलदार)	18.8.14 से 23.8.14=6 दिन 21.11.14 से 30.11.14=10 दिन	16 दिन
39	श्री माईकल	5.5.13 से 20.5.13=16 दिन 10.6.13 से 28.6.13=19 दिन 1.12.13 से 17.12.13=17 दिन 1.4.14 से 29.4.14=29 दिन 25.8.14 से 30.8.14=6 दिन 17.10.14 से 6.11.14=21 दिन	108 दिन
40	श्री सुरेश	25.11.13 से 30.11.13=6 दिन 24.3.14 से 27.3.14=4 दिन	10 दिन
41	श्री बबलू (बेलदार)	20.7.13 से 27.7.13=8 दिन 2.8.13 से 8.8.13=7 दिन 5.10.13 से 12.10.13=8 दिन 1.4.14 से 8.4.14=8 दिन	31 दिन

42	श्री अमर जीत (बेलदार)	22.4.13 से 27.4.13=6 दिन 1.10.13 से 10.10.13=10 दिन 17.1.14 से 21.1.14=5 दिन 8.3.14 से 31.3.14=24 दिन 17.6.14 से 28.6.14=12 दिन 2.7.14 से 15.7.14=14 दिन 5.9.14 से 9.9.14=5 दिन 16.10.14 से 31.10.14=16 दिन 1.11.14 से 30.11.14=30 दिन	122 दिन
43	श्री टेक चन्द (मेट)	1.4.13 से 7.4.13=7 दिन 9.4.13 से 13.4.13=5 दिन 8.7.13 से 24.7.13=17 दिन 5.8.13 से 9.8.13=5 दिन 16.10.13 से 19.10.13=4 दिन 13.6.14 से 30.6.14=18 दिन 25.3.15 से 31.3.15=7 दिन	63 दिन
44	श्री देस राज (मेट)	12.4.14 से 19.4.14=8 दिन	8 दिन
45	श्री दुलो राम (बेलदार)	1.1.14 से 31.1.14=31 दिन	31 दिन

25 सामान्य भविष्य निधि खातों व अंशदायी भविष्य निधि खातों के रख रखाव के सन्दर्भ में:—

नगर परिषद कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों व अंशदायी भविष्य निधि खातों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि न तो इन निधियों की कैश बुक तैयार की गई है और न ही व्यक्तिगत खातों को पूर्ण रूप से तैयार किया गया है, कर्मचारियों को समय-समय भुगतान की गई राशियों का उनके खातों में ईन्द्राज नहीं लिया गया है।

इस विषय को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013 के पैरा संख्या 13 (1) व 13 (2) में भी उठाया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना, उन्हें पूर्ण न करना, कर्मचारियों को भुगतान किये गये अग्रधन राशियों का उनके खातों में ईन्द्राज न करना,

कर्मचारियों के वेतन से भुगतान किये गये अग्रधन की किश्त की कटौती न करना, एक भी खाता नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। दिनांक 31.3.15 को सभी खातों में शेष जमा राशि का बैंक में जमा शेष राशि से मिलान कर की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में खातों का रख रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए।

26 सेवा निवृत्त कर्मचारियों से उन्हें संशोधित पेंशन के भुगतान में अधिक किये गये भुगतान की वसूली न किया जाना:—

वाउचर संख्या 230/30/35 के अन्तर्गत परिषद निधि से राशि ₹156000/- पेंशन फण्ड को सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 1.1.14 से 31.8.14 तक महंगाई भत्ते की बकाया राशि के भुगतान हेतु स्थानान्तरित किये गये। स्थानान्तरण वाउचर पर सम्बन्धित वरिष्ठ सहायक की टिप्पणी के अनुसार कर्मचारियों के गलत पेंशन संशोधन के कारण अधिक भुगतान की गई राशि ₹315420 की वसूली की जानी शेष थी। अतः महंगाई भत्ते की बकाया राशि को इस वसूली के विरुद्ध समायोजित करने के आदेश कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिये गये परन्तु अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त आदेशों के विपरीत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया गया जो एक गम्भीर अनियमितता व आदेशों की अवहेलना है जिसका कारण स्पष्ट करते हुए राशि ₹315420/- की वसूली सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 अन्य:—

(i) नगर परिषद द्वारा शहर में स्ट्रीट लाईट के रख रखाव हेतु प्रयोग किये गये सामान से सम्बन्धित स्टॉक की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में दिनांक 7.6.2013 को स्टॉक में कुल 265 नं0 स्टारटर शेष बकाया थे (स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ-6) जिनमें से 7 जारी करने के पश्चात शेष बकाया 258 की जगह केवल 158 दर्शाए गए तदनुसार आगामी खरीद व खपत की गई इस प्रकार 100 स्टारटर का दुरुपयोग कर दिया गया। अतः दुरुपयोग किये गये 100 स्टारटर के मूल्य ₹890 (100x₹8.90 एक स्टारटर का खरीद मूल्य) की वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ii) वाउचर संख्या 210/20/137 व 139 दिनांक 27.10.2014 के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जाँच में पाया गया कि नीचे वर्णित कर्मचारियों को

उनके बिलों का भुगतान करते समय अदेय दवाईयाँ का भुगतान किया गया। अतः किये गये भुगतानों को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(1) श्री जरम सिंह (लिपिक) द्वारा अपनी पत्नी के चिकित्सा दावे, अवधि 15.7.14 से लगातार में आर्युवैदिक चिकित्सक द्वारा अनुमोदित ऐलोपैथिक दवाई Allercul राशि ₹90

(2) श्रीमती पूनम मैहता (लिपिक) द्वारा अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे दिनांक 20.1.14 तथा 4.2.14 में प्रतिपूर्ति ली गई दवाई Karval Vapo Caps राशि ₹38 कुल राशि ₹76 जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अन्तर्गत देय नहीं है।

(3) श्री टेक चन्द (मेट) का अपनी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों अवधि 5.3.14 से 1.10.14 में उन दवाईयों का भुगतान किया गया है जो चिकित्सक द्वारा अनुमोदित नहीं थी अथवा जो अनुमोदित मात्रा से अधिक खरीदी गई है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	चिकित्सा दावे की अवधि	कैश मेमो सं०	दिनांक	दवाई का विवरण जो नियमानुसार देय नहीं है	टिप्पणी
1	5.3.14 से 12.6.14	436 दिनांक	15.5.14 592 दिनांक 12.6.14	Auc Check Active Strip 1x50 राशि ₹1100 —यथोपरि— 1x100 राशि ₹1700	चिकित्सक द्वारा इन्हें लेने हेतु परामर्श नहीं दिया गया था।
2	29.11.13 से 1.2.14	5262 दिनांक 13	3.12. 5372 दिनांक 3.1.14 5427 दिनांक 1.2. 2014	—यथोपरि— 1x100 राशि ₹2000 Insulin Strip 6Pkt=₹300 Insulin Strip 4 Pkt=200 Auv Chock Active strip 1x100=1900	चिकित्सक द्वारा इन्हें लेने हेतु परामर्श नहीं दिया गया था। चिकित्सक द्वारा अनुमोदित मात्रा की पहले ही दिनांक 3.12.13 की खरीद की जा चुकी थी चिकित्सक द्वारा अनुमोदित मात्रा की पहले ही दिनांक 3.12.13 की खरीद की जा चुकी थी चिकित्सक द्वारा इन्हें लेने हेतु परामर्श नहीं दिया गया था

3	16.7.14 से 726, दिनांक 26.8.14	Acu Check	चिकित्सक द्वारा इन्हें लेने हेतु परामर्श
	1.10.14	Active Strip	नहीं दिया गया था
		1x50) ₹100	

कुल गलत भुगतान की गई राशि=₹8300

(iii) वाऊचर संख्या 220/21/41 दिनांक 10/2014 के अन्तर्गत मै0 बयाल प्रिन्टर्ज के बिल संख्या 874 दिनांक 4.1.2014 के द्वारा स्टेशनरी की खरीद करने पर कुल राशि ₹19518/- का भुगतान किया गया। इस खरीद में से राशि ₹11600 का ऐसा सामान खरीदा गया जिसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि उसे प्रयोग में लाया ही नहीं गया है। अतः इस अनावश्यक खरीद का कारण स्पष्ट किया जाये व इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाने उपरान्त भविष्य में केवल अनावश्यक सामान की खरीद का किया जाना ही सुनिश्चित किया जाये। की गई अनावश्यक खरीद का विवरण निम्नलिखित है:-

1	1000 टैण्डर फार्म दर ₹9.50 प्रति एक राशि	₹9500
2	12 नं0 डिसपैच रजिस्टर दर ₹120 प्रति एक राशि	₹1440
3	6 नं0 रिसैप्ट रजिस्टर दर ₹110 प्रति एक राशि	₹660
		11600

(नोट:- 9 नं0 रिसैप्ट रजिस्टर पहले ही स्टॉक में शेष बकाया पड़े है)

(iv) सेवा पुस्तिकाओं की जाँच में पाया कि नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में वेतन के निर्धारण वेतन की वार्षिक वृद्धि एवं छुट्टियों की प्रविष्टियों के दौरान नियन्त्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिससे वेतन के गलत निर्धारण एवं अधिक भुगतान की सम्भावना बनी रहती है। अतः नियमों के अनुसार समय-2 पर सेवा पुस्तिकाओं को सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें।

(v) स्टॉक स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारे:-

जाँच में पाया कि भण्डार रजिस्ट्रों में दर्ज विभिन्न स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति की सामग्री का नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। अतः प्रत्येक वर्ष नियमों के अनुसार सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

28 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई।

29 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है। नगर परिषद द्वारा पुराने पैरों के निपटारे हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये थे। परिणामस्वरूप वर्ष 1957 से वर्तमान तक लगभग 560 पैरे निपटारे हेतु बकाया है। अतः पुराने पैरों के निपटारे हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाए।

हस्ता/-

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: V(39)2010-फिन(एल0ए0)खण्ड-4-6163-6164

दिनांक, 20.10.15

शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजिकृत :- (2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेंक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/-

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

परिशिष्ट "अ"

पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2015 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की स्थिति

क्र० सं०	अवधि	पैरा नम्बर	विवरण
1	upto 31-03-1957		इस अवधि के पैरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	04/59 से	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
	03/60		
	04/60 से	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
	09/61		
1	10/61 से	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
	06/63		
1	07/63 से	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
	06/65		
1	07/65 से	Examiner Inspection Note	अनिर्णीत
	10/66		
1	12/67 से	2(1)	अनिर्णीत
	11/68		
2		2(2)	अनिर्णीत
3		6	अनिर्णीत
1	12/68 से	1	अनिर्णीत
	03/70		
2		2	अनिर्णीत
3		4	अनिर्णीत
4		5	अनिर्णीत
5		7	अनिर्णीत
6		8	अनिर्णीत

7		9	अनिर्णीत
8		10	अनिर्णीत
9		11	अनिर्णीत
10		12	अनिर्णीत
1	09 / 70 से	4	अनिर्णीत
	01 / 73		
2		8	अनिर्णीत
3		9	
1	1971—1972 और	1	अनिर्णीत
	1972—1973		
2		2	अनिर्णीत
3		3	अनिर्णीत
4		4	अनिर्णीत
5		5	अनिर्णीत
1	02 / 73 से	8(ए)	अनिर्णीत
	03 / 75		
2		9(ए)	अनिर्णीत
3		9(बी)	अनिर्णीत
4		9(सी)	अनिर्णीत
5		9(डी)	अनिर्णीत
6		9(ई)	अनिर्णीत
7		9(एफ)	अनिर्णीत
8		9(जी)	अनिर्णीत
9		9(एच) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
10		10(2)	अनिर्णीत
11		10(3)	अनिर्णीत
12		10(4)	अनिर्णीत
13		10(5)	अनिर्णीत
14		10(6)	अनिर्णीत

15	12(8)(सी)(2)	अनिर्णीत
16	12(8)(सी)(3)	अनिर्णीत
17	12(8)(सी)(4)	अनिर्णीत
18	12(8)(सी)(5)	अनिर्णीत
19	12(8)(सी)(6)	अनिर्णीत
20	12(8)(सी)(7)	अनिर्णीत
21	12(8)(सी)(8)	अनिर्णीत
22	12(8)(सी)(9)	अनिर्णीत
23	12(8)(सी)(10)	अनिर्णीत
24	12(8)(सी)(11)	अनिर्णीत
25	12(8)(सी)(12)	अनिर्णीत
26	12(8)(सी)(13)	अनिर्णीत
27	12(8)(सी)(14)	अनिर्णीत
28	12(8)(सी)(15)	अनिर्णीत
29	12(8)(सी)(16)	अनिर्णीत
30	12(8)(सी)(17)	अनिर्णीत
31	12(8)(सी)(18)	अनिर्णीत
32	12(8)(सी)(19)	अनिर्णीत
33	12(डी)(2)(3)	अनिर्णीत
34	12(ई)(5)	अनिर्णीत
35	12(ई)(7)	अनिर्णीत
36	12(ई)(9)	अनिर्णीत
37	12(ई)(11)	अनिर्णीत
38	12(ई)(12)	अनिर्णीत
39	12(ई)(14)	अनिर्णीत
40	12(ई)(15)	अनिर्णीत
41	12(ई)(16)	अनिर्णीत
42	12(ई)(18)	अनिर्णीत
43	12(ई)(19)	अनिर्णीत

44		12(ई)(20)	अनिर्णीत
45		12(एफ)(1)	अनिर्णीत
46		12(एफ)(2)	अनिर्णीत
47		12(एफ)(3)	अनिर्णीत
48		12(एफ)(4)	अनिर्णीत
49		12(एफ)(5)	अनिर्णीत
50		12(एफ)(6)	अनिर्णीत
51		12(एफ)(7)	अनिर्णीत
52		12(एफ)(8)	अनिर्णीत
53		12(एफ)(9)	अनिर्णीत
54		12(एफ)(10)	अनिर्णीत
55		12(एफ)(13)	अनिर्णीत
56		12(एफ)(14)	अनिर्णीत
57		12(जी)(2)	अनिर्णीत
58		13(जी)(3)	अनिर्णीत
59		13(जी)(4)	अनिर्णीत
60		13(जी)(5)	अनिर्णीत
61		13(जी)(6)	अनिर्णीत
62		13(जी)(7)	अनिर्णीत
63		17	अनिर्णीत
64		18(बी)(8) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
65		18(सी)(2)	अनिर्णीत
1	04 / 75 से 03 / 81	7(ए)(1 से 7) वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
2		7(बी) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
3		7(सी)	अनिर्णीत
4		8(1) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
5		8(2) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत

6	8(बी) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
7	8(4) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
8	8(6)	अनिर्णीत
9	8(8)	अनिर्णीत
10	8(10)	अनिर्णीत
11	8(14)	अनिर्णीत
12	8(20)(1) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
13	8(20)(2) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
14	8(26)	अनिर्णीत
15	8(28) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
16	8(29) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
17	8(31) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
18	9(10)(2)	अनिर्णीत
19	9(10)(3)	अनिर्णीत
20	9(10)(4)	अनिर्णीत
21	10(6)	अनिर्णीत
22	10(7)	अनिर्णीत
23	10(8)	अनिर्णीत
24	10(16)	अनिर्णीत
25	10(22)	अनिर्णीत
26	10(23)	अनिर्णीत
27	10(24)	अनिर्णीत
28	10(25)	अनिर्णीत
29	10(31)	अनिर्णीत
30	10(32)	अनिर्णीत
31	11(6) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
32	11(7) वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
33	12(1)	अनिर्णीत
34	12(2)	अनिर्णीत

35		12(3)	अनिर्णीत
36		15(2)	अनिर्णीत
37		20	अनिर्णीत
1	04 / 81 से 03 / 82	3(बी)	अनिर्णीत
2		9	अनिर्णीत
3		10	अनिर्णीत
4		11	अनिर्णीत
5		12(ए)	अनिर्णीत
6		12(जी)	अनिर्णीत
7		12(एच)	अनिर्णीत
8		17	अनिर्णीत
9		19(ए)	अनिर्णीत
10		22(डी)	अनिर्णीत
11		22(ई)	अनिर्णीत
1	04 / 82 से 03 / 83	6(बी)	अनिर्णीत
2		6(सी)	अनिर्णीत
3		6(जी)	अनिर्णीत
4		17(ए)	अनिर्णीत
5		17(बी)	अनिर्णीत
6		18(ए)	अनिर्णीत
7		18(बी)	अनिर्णीत
8		18(सी)	अनिर्णीत
9		19(ए)	अनिर्णीत
10		19(बी)	अनिर्णीत
11		19(सी)	अनिर्णीत

12	19(ई)	अनिर्णीत
13	19(एफ)	अनिर्णीत
14	19(के)	अनिर्णीत
15	19(एल)	अनिर्णीत
16	21	अनिर्णीत
17	23(2)	अनिर्णीत
18	23(3)	अनिर्णीत
19	23(6)	अनिर्णीत
20	23(7)	अनिर्णीत
21	23(8)	अनिर्णीत
22	23(9)	अनिर्णीत
23	23(10)	अनिर्णीत
24	23(11)	अनिर्णीत
25	23(12)	अनिर्णीत
26	23(13)	अनिर्णीत
27	23(14)	अनिर्णीत
28	23(15)	अनिर्णीत
29	23(16)	अनिर्णीत
30	23(17)	अनिर्णीत
31	23(18)	अनिर्णीत
32	23(19)	अनिर्णीत
33	23(20)	अनिर्णीत
34	23(21)	अनिर्णीत
35	23(22)	अनिर्णीत
36	23(23)	अनिर्णीत
37	23(24)	अनिर्णीत
38	23(25)	अनिर्णीत
39	23(26)	अनिर्णीत
40	23(27)	अनिर्णीत

41	23(28)	अनिर्णीत
42	23(29)	अनिर्णीत
43	23(30)	अनिर्णीत
44	23(31)	अनिर्णीत
45	23(32)	अनिर्णीत
46	23(33)	अनिर्णीत
47	23(34)	अनिर्णीत
48	23(35)	अनिर्णीत
49	23(36)	अनिर्णीत
50	23(37)	अनिर्णीत
51	23(38)	अनिर्णीत
52	23(39)	अनिर्णीत
53	23(40)	अनिर्णीत
54	23(41)	अनिर्णीत
55	23(42)	अनिर्णीत
56	23(43)	अनिर्णीत
57	23(44)	अनिर्णीत
58	23(47)	अनिर्णीत
59	23(49)	अनिर्णीत
60	23(50)	अनिर्णीत
61	23(51)	अनिर्णीत
62	23(52)	अनिर्णीत
63	26(डी)	अनिर्णीत
64	26(के)	अनिर्णीत
65	26(ओ)	अनिर्णीत
66	26(आर)	अनिर्णीत
67	26(टी)	अनिर्णीत
68	26(यू)	अनिर्णीत

1	04 / 83 से 03 / 85	12	अनिर्णीत
2		13(जी)	अनिर्णीत
3		13(एच)(5)	अनिर्णीत
4		13(एच)(6)	अनिर्णीत
5		13(एच)(7)	अनिर्णीत
6		13(एच)(8)	अनिर्णीत
7		13(एच)(9)	अनिर्णीत
8		13(एच)(10)	अनिर्णीत
9		13(के)	अनिर्णीत
10		13(आई)	अनिर्णीत
11		13(क्यू)	अनिर्णीत
12		13(आर)	अनिर्णीत
13		13(एस)	अनिर्णीत
14		13(टी)	अनिर्णीत
15		13(यू)	अनिर्णीत
16		13(वी)	अनिर्णीत
17		13(डब्ल्यू)	अनिर्णीत
18		13(वाय)	अनिर्णीत
19		15(सी)	अनिर्णीत
20		16(एल)	अनिर्णीत
1	04 / 85 से 03 / 86	9	अनिर्णीत
1	Examiner Inspection note	2(ए)	अनिर्णीत
2		2(बी)	अनिर्णीत
3		2(सी)	अनिर्णीत
4		2(डी)	अनिर्णीत

5		2(ई)	अनिर्णीत
1	04 / 86 से 03 / 88	3(सी)	अनिर्णीत
2		7	अनिर्णीत
3		20	अनिर्णीत
1	04 / 88 से 03 / 91	3(2)	अनिर्णीत
2		3(3)	अनिर्णीत
3		8(घ)	अनिर्णीत
4		13(ख)	अनिर्णीत
5		13(घ)	अनिर्णीत
6		13(य)	अनिर्णीत
7		13(ङ)	अनिर्णीत
8		13(च)	अनिर्णीत
9		13(छ)	अनिर्णीत
10		14(ख)	अनिर्णीत
11		14(ख)(1)	अनिर्णीत
12		14(ख)(3)	अनिर्णीत
13		14(रा)(2)	अनिर्णीत
14		14(ज)	अनिर्णीत
15		14(ञ)	अनिर्णीत
16		14(5)(रा)	अनिर्णीत
17		15(ण)	अनिर्णीत
18		16(द)	अनिर्णीत
19		16(ण)	अनिर्णीत
20		17(2)(3)	अनिर्णीत
21		18(3)	अनिर्णीत

22		18(4)	अनिर्णीत
23		18(10)(बी)	अनिर्णीत
1	04 / 91 से 03 / 99	8	अनिर्णीत
2		9(1)	अनिर्णीत
3		10	अनिर्णीत
4		13(क)	अनिर्णीत
5		13(ख)	अनिर्णीत
6		13(ग)	अनिर्णीत
7		14(16)	अनिर्णीत
8		14(17)	अनिर्णीत
9		14(18)	अनिर्णीत
10		15(7)	अनिर्णीत
11		15(8)	अनिर्णीत
12		15(9)	अनिर्णीत
13		15(10)	अनिर्णीत
14		15(11)	अनिर्णीत
15		17	अनिर्णीत
16		18(4)	अनिर्णीत
17		18(5)	अनिर्णीत
18		18(6)	अनिर्णीत
19		19(1)	अनिर्णीत
20		19(2)	अनिर्णीत
1	04 / 99 से 03 / 2007	2(1)	अनिर्णीत
2		2(2)	अनिर्णीत
3		2(3)	अनिर्णीत

4	2(4)	अनिर्णीत
5	2(5)	अनिर्णीत
6	3(1)	अनिर्णीत
7	3(2)	अनिर्णीत
8	3(3)	अनिर्णीत
9	3(4)(1)	अनिर्णीत
10	3(4)(2)	अनिर्णीत
11	3(4)(3)	अनिर्णीत
12	3(4)(4)	अनिर्णीत
13	3(4)(5)	अनिर्णीत
14	3(4)(6)	अनिर्णीत
15	3(4)(7)	अनिर्णीत
16	3(4)(8)	अनिर्णीत
17	3(4)(9)	अनिर्णीत
18	3(4)(10)	अनिर्णीत
19	3(5)(1)	अनिर्णीत
20	3(5)(2)	अनिर्णीत
21	3(5)(3)	अनिर्णीत
22	3(6)	अनिर्णीत
23	3(6)(1)	अनिर्णीत
24	3(6)(2)	अनिर्णीत
25	3(6)(3)	अनिर्णीत
26	4(1)	अनिर्णीत
27	4(2)	अनिर्णीत
28	4(3)	अनिर्णीत
29	4(4)	अनिर्णीत
30	4(5)	अनिर्णीत
31	4(6)	अनिर्णीत
32	4(7)	अनिर्णीत

33	4(8)	अनिर्णीत
34	4(9)	अनिर्णीत
35	4(10)	अनिर्णीत
36	4(11)	अनिर्णीत
37	4(12)	अनिर्णीत
38	4(13)	अनिर्णीत
39	4(14)	अनिर्णीत
40	4(15)	अनिर्णीत
41	4(16)	अनिर्णीत
42	4(17)	अनिर्णीत
43	4(18)	अनिर्णीत
44	4(19)	अनिर्णीत
45	4(20)	अनिर्णीत
46	4(21)	अनिर्णीत
47	4(22)	अनिर्णीत
48	4(23)	अनिर्णीत
49	4(24)	अनिर्णीत
50	4(25)	अनिर्णीत
51	4(26)	अनिर्णीत
52	4(27)	अनिर्णीत
53	5(1)	अनिर्णीत
54	5(2)	अनिर्णीत
55	5(4)	अनिर्णीत
56	5(5)	आंशिक रूप से निर्णीत
57	5(6)	आंशिक रूप से निर्णीत
58	5(7)	अनिर्णीत
59	5(9)	अनिर्णीत
60	5(10)	अनिर्णीत
61	5(12)	अनिर्णीत

62	6(1)	अनिर्णीत
63	6(2)	अनिर्णीत
64	6(3)	अनिर्णीत
65	6(4)	अनिर्णीत
66	6(5)	अनिर्णीत
67	6(6)	अनिर्णीत
68	6(7)	अनिर्णीत
69	6(8)	अनिर्णीत
70	6(9)	अनिर्णीत
71	6(10)	अनिर्णीत
72	6(11)	अनिर्णीत
73	6(12)	अनिर्णीत
74	6(13)	अनिर्णीत
75	6(14)	अनिर्णीत
76	6(15)	अनिर्णीत
77	7(1)	अनिर्णीत
78	7(2)	अनिर्णीत
79	7(3)	अनिर्णीत
80	7(4)	अनिर्णीत
81	7(5)	अनिर्णीत
82	7(6)	अनिर्णीत
83	7(7)	अनिर्णीत
84	7(8)	अनिर्णीत
85	7(9)	अनिर्णीत
86	7(10)	अनिर्णीत
87	7(11)	अनिर्णीत
88	7(12)	अनिर्णीत
89	7(13)	अनिर्णीत
90	8(1)	अनिर्णीत

91		8(2)	अनिर्णीत
92		8(3)	अनिर्णीत
93		8(4)	अनिर्णीत
94		8(5)	अनिर्णीत
95		9	अनिर्णीत
96		10(1)(1)	अनिर्णीत
97		10(1)(2)	अनिर्णीत
98		10(1)(3)	अनिर्णीत
99		10(1)(4)	अनिर्णीत
100		10(1)(5)	अनिर्णीत
101		10(1)(6)	अनिर्णीत
102		10(1)(7)	अनिर्णीत
103		10(1)(8)	अनिर्णीत
104		10(1)(9)	अनिर्णीत
105		10(1)(10)	अनिर्णीत
106		10(1)(11)	अनिर्णीत
107		10(1)(12)	अनिर्णीत
108		10(2)	अनिर्णीत
109		10(3)	अनिर्णीत
110		11	अनिर्णीत
1	04 / 2007 से 03 / 2010	4.2	अनिर्णीत
2		4.3	अनिर्णीत
3		5	अनिर्णीत
4		6	अनिर्णीत
5		7	अनिर्णीत
6		7.1	अनिर्णीत
7		7.2	अनिर्णीत

8	7.3	अनिर्णीत
9	8.1	अनिर्णीत
10	8.2	अनिर्णीत
11	8.2.1	अनिर्णीत
12	9	अनिर्णीत
13	9.1	अनिर्णीत
14	9.2	अनिर्णीत
15	9.3	अनिर्णीत
16	9.4	अनिर्णीत
17	9.5	अनिर्णीत
18	9.6	अनिर्णीत
19	9.7	अनिर्णीत
20	9.8	अनिर्णीत
21	9.9	अनिर्णीत
22	10	अनिर्णीत
23	11	अनिर्णीत
24	12	अनिर्णीत
25	13	आंशिक रूप से निर्णीत
26	13.1	अनिर्णीत
27	13.2	अनिर्णीत
28	13.3	अनिर्णीत
29	13.4	अनिर्णीत
30	13.5	अनिर्णीत
31	13.6	अनिर्णीत
32	13.8	अनिर्णीत
33	13.9	अनिर्णीत
34	13.10	अनिर्णीत
35	14	अनिर्णीत

36	14.1	अनिर्णीत
37	14.2	अनिर्णीत
38	14.3	अनिर्णीत
39	14.4	अनिर्णीत
40	14.5	अनिर्णीत
41	14.6	अनिर्णीत
42	14.8	अनिर्णीत
43	14.9	अनिर्णीत
44	14.10	अनिर्णीत
45	14.11	अनिर्णीत
46	14.12	अनिर्णीत
47	14.13	अनिर्णीत
48	14.14	अनिर्णीत
49	14.15	अनिर्णीत
50	14.16	अनिर्णीत
51	14.17	अनिर्णीत
52	14.18	अनिर्णीत
53	14.19	अनिर्णीत
54	14.20	अनिर्णीत
55	14.21	अनिर्णीत
56	14.22	अनिर्णीत
57	14.23	अनिर्णीत
58	14.24	अनिर्णीत
59	14.25	अनिर्णीत
60	14.26	अनिर्णीत
61	14.27	अनिर्णीत
62	14.28	अनिर्णीत
63	14.29	अनिर्णीत
64	14.31	अनिर्णीत

65	14.32	अनिर्णीत
66	14.33	अनिर्णीत
67	14.34	अनिर्णीत
68	14.35	अनिर्णीत
69	14.37	अनिर्णीत
70	14.38	अनिर्णीत
71	14.39	अनिर्णीत
72	14.41	अनिर्णीत
73	14.42	अनिर्णीत
74	14.43	अनिर्णीत
75	14.44	अनिर्णीत
76	14.45 आंशिक निर्णीत	(कुल वसूली योग्य राशि=16959 वसूली गई राशि=8611 वसूली योग्य शेष राशि=8348)

वसूली गई राशि का विवरण

- (1) ₹7588 /—Recovered from Sh. Roop Kumar vide G No. 42/50 ₹550, G8 42/51 ₹38 Dt. 26.05.15 and ₹7000 /— recovered for the salary of August 2014 to feb 2015
- (2) ₹320/- recovered for Sh. Nand Kishori Vide G8 No. 1/70 dated 4.12.13
- (3) ₹703/- recovered form smt Lambo (S.K.) vide G8 No. 79/38 dated 16.3.13

77	14.46	अनिर्णीत
78	14.47	अनिर्णीत
79	15	अनिर्णीत
80	15.1	अनिर्णीत
81	15.2	अनिर्णीत
82	15.3	अनिर्णीत
83	15.4	अनिर्णीत
84	15.5	अनिर्णीत
85	15.6	अनिर्णीत

86	15.7	अनिर्णीत
87	15.8	अनिर्णीत
88	15.8.1	अनिर्णीत
89	15.8.2	अनिर्णीत
90	15.8.3	अनिर्णीत
91	15.9	अनिर्णीत
92	15.10	अनिर्णीत
93	15.11	अनिर्णीत
94	15.12	अनिर्णीत
95	15.13	अनिर्णीत
96	15.14	अनिर्णीत
97	15.15	अनिर्णीत
98	16	अनिर्णीत
99	16.1	अनिर्णीत
100	17	अनिर्णीत
101	17.1	अनिर्णीत
102	17.2	अनिर्णीत
103	17.3	अनिर्णीत
104	17.4	अनिर्णीत
1	4 / 2010 से 3 / 2013	4 (क) (i) अनिर्णीत
2	4 (क) (ii)	निर्णीत (नगर परिषद का मुख्य खाता बचत खाते से MODS में परिवर्तित कर दिया गया है)
3	4 (ख) (i)	अनिर्णीत
4	4 (ख) (ii)	अनिर्णीत
5	4 (ख) (iii)	अनिर्णीत
6	4 (ख) (iv)	अनिर्णीत
7	4 (ख) (v)	अनिर्णीत

8	4 (ग) (i)	अनिर्णीत
9	4 (ग) (ii)	अनिर्णीत
10	4 (ग) (iii)	अनिर्णीत
11	4 (घ) (i)	अनिर्णीत
12	4 (घ) (ii)	अनिर्णीत
13	4 (ङ) (i)	अनिर्णीत
14	4 (च) (i)	अनिर्णीत
15	4 (च) (ii)	अनिर्णीत
16	4 (छ)	अनिर्णीत
17	4 (ज)	अनिर्णीत
18	5 (i) (ii)	अनिर्णीत
19	6	अनिर्णीत
20	7	निर्णीत (अग्रिम धन राशियों की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी है)
21	8	निर्णीत
22	9 (1) (I)	निर्णीत
23	9 (1) (II)	अनिर्णीत
24	9 (1) (III)	अनिर्णीत
25	9 (1) (IV)	अनिर्णीत
26	9 (1) (V)	अनिर्णीत
27	9 (2) (I)	अनिर्णीत
28	9 (2) (II)	अनिर्णीत
29	9 (2) (III)	अनिर्णीत
30	9 (2) (IV)	अनिर्णीत
31	9 (2) (V)	अनिर्णीत
32	9 (2) (VI)	निर्णीत (₹104245/- की वसूली वाउचर संख्या 210/10/61 दिनांक 17.5.14 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी से

कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)

33	9 (2) (VII)	अनिर्णीत
34	9 (2) (VIII)	अनिर्णीत
35	9 (2) (IX)	अनिर्णीत
36	9 (2) (X)	अनिर्णीत
37	9 (3)	निर्णीत (इस पैरे की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है)
38	9 (4) (i)	अनिर्णीत
39	9 (4) (ii)	अनिर्णीत
40	9 (4) (iii)	अनिर्णीत
41	9 (4) (iv)	अनिर्णीत
42	9 (4) (v)	निर्णीत (पैरे की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है)
43	9 (4) (vi)	निर्णीत (पैरे की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है)
44	9 (4) (vii)	निर्णीत (पैरे की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है)
45	9 (4) (viii)	निर्णीत (पैरे की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है)
46	9 (4) (ix)	अनिर्णीत
47	10 (1)	अनिर्णीत
48	10 (2)	अनिर्णीत
49	10 (3)	अनिर्णीत
50	10 (4)	अनिर्णीत
51	10 (5)	अनिर्णीत
52	10 (6)	अनिर्णीत

53	10 (7)	अनिर्णीत
54	10 (8)	अनिर्णीत
55	10 (9)	अनिर्णीत
56	10 (10)	अनिर्णीत
57	10 (11)	अनिर्णीत
58	10 (12)	अनिर्णीत
59	10 (13)	अनिर्णीत
60	10 (14)	अनिर्णीत
61	10 (15)	अनिर्णीत
62	10 (16)	अनिर्णीत
63	10 (17)	अनिर्णीत
64	10 (18)	अनिर्णीत
65	11 (1)	अनिर्णीत
66	11 (2)	अनिर्णीत
67	11 (3)	अनिर्णीत
68	11 (4)	अनिर्णीत
69	11 (5)	अनिर्णीत
70	12 (1)	अनिर्णीत
71	12 (2)	अनिर्णीत
72	12 (3)	अनिर्णीत
73	12 (4)	अनिर्णीत
74	13 (1)	अनिर्णीत
75	13 (2)	अनिर्णीत
76	14 (1)	अनिर्णीत
77	14 (2)	अनिर्णीत
78	14 (3)	अनिर्णीत
79	14 (4)	अनिर्णीत
80	14 (5)	अनिर्णीत
81	14 (6)	अनिर्णीत